खण्ड - III

आयोजना परिव्यय 2011-2012

इस भाग में विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता हेतु 2011-12 के केन्द्रीय आयोजना परिव्यय का ब्यौरा दिया गया है। वास्तविक लक्ष्यों, जहां कहीं भी दिए गए हों, के बाद दी गई टिप्पणियां संपूर्ण आयोजना परिव्यय के साथ जुड़ी है जिसमें बजटीय सहायता तथा आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन (आं.ब.बा.सं.) दोनों शामिल हैं। विवरण 12 में मंत्रालय/विभाग-वार आयोजना परिव्यय दर्शाया गया है। विवरण 13 में विभिन्न क्षेत्रों के तहत विकास-क्षेत्रों और विकास-शीर्षों द्वारा केन्द्रीय आयोजना-परिव्यय दर्शाया गया है। विवरण 14 में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में आयोजना निवेश दर्शाया गया है। विवरण 15 में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संसाधन दिए गए हैं। विवरण 16 में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता दर्शाई गई है। विवरण 17 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को आयोजना अनुदान और ऋण दिए गए हैं। विवरण 18 में राज्य/जिला स्तर के स्वायत्तशासी निकायों/कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय आयोजना सहायता के प्रत्यक्ष अन्तरण के लिए प्रावधान दिया गया है। विवरण 19 केंद्रीय आयोजना में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए और राज्यों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं जिसमें अनुमानित अंतर्प्रवाह 100 करोड़ रुपए या इससे अधिक है, का परियोजनावार ब्यौरा दर्शाता है। विवरण 20 लिंग आधारित स्कीमों के लिए परिव्यय और विवरण 21 और 21क क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास के लिए परिव्यय दर्शाता है। विवरण 22 में बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान दर्शाए गए हैं।

2010-2011 के परिव्यय की तुलना में 2011-12 का आयोजना परिव्यय व्यवस्था इस प्रकार हैः

(₹ करोड़)

	वास्तविक आंकड़े 2009-10	**बजट अनुमान 2010-2011**	**संशोधित अनुमान 2010-2011**	**बजट अनुमान 2011-2012**
केन्द्रीय आयोजना के लिए बजटीय सहायता	218901.00	280599.99	298611.74	335521.00
सरकारी उद्यमों के आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधन	188010.72	243884.32	203638.08	256935.99
केन्द्रीय आयोजना परिव्यय	**406911.72**	**524484.31**	**502249.82**	**592456.99**
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	**84490.40**	**92492.00**	**96412.46**	**106025.75**

कृषि और संबद्ध कार्य

फसल कार्य : कृषि जिंसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यनीति विभिन्न विकास कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने पर बल देती है। फसल कार्य के अधीन कार्यक्रमों के लिए परिव्यय 15676.73 करोड़ रुपए है जिसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीआई) के लिए किया गया 7810.87 करोड़ रुपए का आवंटन शामिल है। इनके लिए भी आवंटन किया गया हैः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (1250.00 करोड़ रुपए) समेकित तिलहन, पाम तेल, दलहन और मक्का विकास (547.00 करोड़ रु.), पौध संरक्षण (70.94 करोड़ रु.), बीज (404.97 करोड़ रु.), उर्वरक (45.00 करोड़ रु.), कृषि अर्थ एवं सांख्यिकीय (204.00 करोड़ रु.), फसल बीमा (1150 करोड़ रु.), बागवानी क्रियाकलापों (2773.00 करोड़ रुपए जिसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन, 1200.00 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन के लिए 1130 करोड़ रुपए शामिल हैं।)

फसल बीमा योजना के लिए 1150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) के लिए 550.00 करोड़ रुपए, मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए 450.00 करोड़ रुपए और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) के लिए 150.00 करोड़ रुपये शामिल हैं।

राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा लिए गए संकल्प के अनुसार जिसमें 11वीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि हासिल करने की प्रतिबद्धता दोहरायी गई थी, के अनुसार 2007-08 के दौरान राज्य आयोजना स्कीम के तौर पर शुरू एक नई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की गई थी। यह योजना उनकी राज्य आयोजनाओं में अतिरिक्त महत्वपूर्ण अंतरालों को पाटने के लिए राज्यों के बुनियादी व्यय के अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करेगी। बजट 2011-12 में 7810.87 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था के साथ दो नए संघटकों को जिन्हें आरकेवीवाई के भाग के रूप में प्रारम्भ किया जाएगा, 2010-11 के लिए अनुमोदित किया गया था, अर्थात् (i) वर्षापोषित क्षेत्रों में सहायक कार्यक्रमों के बतौर चुनिंदा दलहन/तिलहन उत्पादक गांवों में दलहन तथा तिलहन विकास हेतु विशेष पहल। यह पहल विशिष्ट रूप से वर्षापोषित क्षेत्रों में लक्षित होगी तथा इसे तिलहन तथा दलहन से सम्बद्ध कार्यक्रमों में अपनाए जाने वाले मानदण्डों के समान ही कार्यान्वित किया जाएगा, और (ii) पूर्वी भारत में कृषि में उपज अन्तर को पाटने की योजना जम्मू एवं कश्मीर में केसर के लिए भी प्रावधान किया गया है।

2011-12 में राष्ट्रीय किसान विकास योजना के तहत पांच नए उप-घटक क्रियान्वित किए जाएंगे अर्थात् (i) तेल पाम बागान के तहत 60000 हेक्टेयर क्षेत्र को लाने के लिए तेल पाम का संवर्धन (300.00 करोड़ रुपए); (ii) पोषक अनाज 25000 गांवों को शामिल करते हुए 1000 खंडों में पोषक अनाज के अधिक उत्पादन को बढ़ावा देना (300.00करोड़ रुपए); (iii) सब्जी क्लस्टर्स संबंधी पहल (300.00 करोड़ रुपए); (iv) त्वरित चारा विकास कार्यक्रम (300.00 करोड़ रुपए); (v) चुनिंदा खंड़ों में पशुधन विकास, डेयरी, शुकर पालन, बकरा पालन और मात्सिकी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रोटीन पूरक मिशन (300.00 करोड़ रुपए)। ये नए घटक राज्यों द्वारा भारत सरकार जिसमें कृषि मंत्रालय, राष्ट्रीय वर्षापोषित क्षेत्र प्राधिकरण और योजना आयोग शामिल है, के परामर्श से तैयार किए जाएंगे और ये राष्ट्रीय किसान विकास योजना की अनुमोदित प्रक्रिया का हिस्सा होंगे।

राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किए गए संकल्प के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना नामक नई योजना 2007-08 के दौरान शुरु की गई थी ताकि चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि करके खाद्यान्नों में देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस योजना के लिए बजट 2011-12 में 1350.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 100.00 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है)।

मृदा और जल संरक्षण : शीर्ष के अधीन परिव्यय 65.00 करोड़ रुपए है, जिसमें से 15.00 करोड़ रुपए अखिल भारतीय मृदा और भूमि प्रयोग सर्वेक्षण के लिए और 50.00 करोड़ रुपए की राशि "झूम खेती नियंत्रण (राज्य आयोजना)" के लिए है।

सहकारिता : इन कार्यक्रमों के लिए 222.00 करोड़ रुपए का परिव्यय मुख्यतः सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण, विकासात्मक कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से सहायता, भूमि विकास बैंकों को ऋण प्रदान करने के लिए है। इस प्रावधान में एनसीडीसी द्वारा सहकारी संस्थाओं को दिए गए ऋणों पर ब्याज सहायता (80.00 करोड़ रुपए), सहकारी

संस्थाओं का पुनर्वास और पुनर्संरचना (25.00 करोड़ रुपए) तथा नैफेड को ऋण और इक्विटी में अंशदान के रूप में सहायता के लिए 2.00 करोड़ रुपए का सांकेतिक प्रावधान भी शामिल है।

अन्य कृषि कार्यक्रम : यह परिव्यय कृषि विपणन योजनाओं यथा ग्रामीण गोदामों के निर्माण (136.00 करोड़ रुपए), विपणन अवसंरचना के ग्रेडिंग विकास (165 करोड़ रुपए), लघु किसान कृषि व्यापार संघ विपणन अनुसंधान सर्वेक्षण और विपणन सूचना नेटवर्क (27.00 करोड़ रुपए), आदि के लिए है। 807.08 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए है।

पशुपालन : सामान्यतः पशुधन के विकास के तीन उद्देश्य हैं, अर्थात् बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त पशु प्रोटीन उपलब्ध कराना; कृषि उत्पादन की वृद्धि बनाए रखने के लिए पर्याप्त पशुशक्ति उपलब्ध कराना तथा पशु रोगों का नियंत्रण। वर्ष 2011-12 के लिए परिव्यय 1045.25 करोड़ रुपए है जिसमें 94.84 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए हैं।

डेरी विकास : 250.25 करोड़ रुपए का परिव्यय मुख्यतया सघन डेयरी विकास परियोजना; सहकारी समितियों को सहायता; गुणवत्तापूर्ण एवं स्वच्छ दुग्ध एवं डेयरी उत्पादों के लिए अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण/मुर्गीपालन उद्यम पूंजी निधि के लिए है जिसमें 27.50 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए हैं।

मत्स्य पालन : 298.00 करोड़ रुपए का परिव्यय मृदु जल एवं खारा जल मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने, मछली बंदरगाहों एवं लैंडिंग केन्द्रों के लिए सहायता प्रदान करने, समुद्री मत्स्य पालन विकास, मछुआरों के कल्याण, डाटा बेस एवं सूचना नेटवर्क प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं मत्स्य पालन संस्थानों तथा राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को सहायता प्रदान करने के लिए है जिसमें 27.80 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए हैं।

वानिकी और वन्य जीव : वर्ष 2011-12 के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय का केन्द्रीय आयोजना व्यय 2300.00 करोड़ रुपए है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए 93.89 करोड़ रुपए, अनुसंधान के लिए 92.00 करोड़ रुपए, 5.77 करोड़ रुपये वन संसाधनों के सर्वेक्षण और उपयोग, वन संरक्षण विकास और पुनरुद्धार के लिए 56.70 करोड़ रुपए, वन्य जीव संरक्षण के लिए 289.46 करोड़ रुपए, प्राणी उद्यान के लिए 5.65 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम के लिए 242.00 करोड़ रुपए, सर्वेक्षण के लिए 31.49 करोड़ रुपए, पर्यावरणीय शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार के लिए 54.00 करोड़ रुपए, संरक्षण कार्यक्रम के लिए 29.20 करोड़ रुपए, पर्यावरण योजना और समन्वय के लिए 15.33 करोड़ रुपए, अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्धार के लिए 28.60 करोड़ रुपए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए 13.00 करोड़ रुपए, प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए 791.97 करोड़ रुपए तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए 385.68 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 165.26 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र के कार्यक्रम के लिए आवंटित किए गए हैं। इन योजनाओं में अनुसूचित जाति उप योजना के लिए 51.00 करोड़ रुपए और जनजाति उप योजना के लिए 15.00 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।

कृषि अनुसंधान और शिक्षा : कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष वैज्ञानिक संगठन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) के माध्यम से कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के लिए उत्तरदायी है। प्रावधान के मुख्य संघटक गुणवत्ता वाले बीजों में कृषि अनुसंधान को सुदृढ़ बनाना, अधिक उपज देने वाली किस्मों/वर्णसंकर किस्म के बीजों का विकास, जैव-प्रौद्योगिकी को लागू करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का समाधान, संसाधनों का संरक्षण, निविष्टि उपयोग क्षमता, जैविक खेती के लिए प्रौद्योगिकी सृजन, प्रतिरक्षीकरण और नैदानिक एवं जेंडर संबंधी विषयों को सुदृढ़ बनाना है। इस क्षेत्र के लिए 2011-12 का आयोजना परिव्यय 2800.00 करोड़ रुपए है। इसमें से फसल कार्यों के लिए 1854.60 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 135.00 करोड़ रुपये और टीएसपी के लिए 25.80 करोड़ रुपए सहित), राष्ट्रीय कृषि नवीकरण परियोजना के लिए 176.00 करोड़ रुपए (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 5.00 करोड़ रुपए और टीएसपी के लिए 15.00 करोड़ रुपए शामिल हैं), मृदा एवं जल संरक्षण के लिए 200.10 करोड़ रुपए (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 20.00 करोड़ रुपए और टीएसपी के लिए 30.00 करोड़ रुपए शामिल हैं), जलवायु अनुरूप कृषि के लिए 150.00 करोड़ रुपए (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 20.00 करोड़ रुपए शामिल हैं), पशुपालन के लिए 165.30 करोड़ रुपए (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 20.00 करोड़ रुपए और टीएसपी के लिए 20.00 करोड़ रुपए शामिल हैं), मात्सिकी के लिए 65.00 करोड़ रुपए (टीएसपी के लिए 10.00 करोड़ रुपए समेत), डेयर (डीएआरई) के लिए 1.00 करोड़ रुपए, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल के लिए 108.00 करोड़ रुपए जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के तहत केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बारापानी के लिए 28.00 करोड़ रुपए शामिल हैं, नैशनल इंस्टिट्यूट फॉर बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए 20.00 करोड़ रुपए, भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी के लिए 30.00 करोड़ रुपए, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड के लिए 30.00 करोड़ रुपए, ब.अ. 2011-12 में छठे केंद्रीय वेतन आयोग के क्रियान्वयन के लिए 285.00 करोड़ रुपए का अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना का बकाया भुगतान।

खाद्य भंडारण और भांडागारण : खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु खाद्यान्नों की खरीद और उनका संवितरण करने के लिए स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। समाज के कमजोर और जनजातीय क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से, वर्ष 2011-12 में 17 करोड़ रुपए के परिव्यय से (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 1.00 करोड़ रुपए सहित) ग्रामीण खाद्यान्न बैंकों की स्थापना करने की योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों द्वारा "गोदामों का निर्माण" योजना 86.90 करोड़ रुपए के परिव्यय सहित जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और नए उभरते हुए प्रमुख अधि-प्राप्ति वाले राज्यों में कार्यान्वित की जाएगी। वर्ष 2011-12 के दौरान 6.75 करोड़ रुपए के परिव्यय से "खाद्यान्न प्रबन्धन के लिए मूल्यांकन, मानीटरिंग और अनुसंधान तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का सुदृढ़ीकरण" नामक स्कीम कार्यान्वित की जाएगी। इसमें पीडीएस प्रचालनों के कम्प्यूटरीकरण के लिए व्यावसायिक सेवाओं हेतु 5.00 करोड़ रुपए तथा पीडीएस के सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण हेतु 0.86 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। टीपीडीएस को सुदृढ़ बनाने के लिए उसके कम्प्यूटरीकरण की योजना कार्यान्वित की जा रही है। टीपीडीएस के लिए खाद्यान्नों की चोरी और अपवर्तन रोकने और टीपीडीएस लाभार्थियों में उनकी हकदारिता और शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरुकता पैदा करने की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर द्वारा विभिन्न विकास योजनाएं चलाए जाने के लिए 1.55 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण हेतु 13.00 करोड़ रुपए रखे गए हैं। केंद्रीय भाण्डागारण निगम (सीडब्ल्यूसी) जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम है, ने 2011-12 के दौरान कुल 74.70 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 2.07 लाख मी. टन की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। सीडब्ल्यूसी ने राज्य भाण्डागारण निगमों को उनकी भाण्डागारण क्षमता बढ़ाने के लिए 3.00 करोड़ रुपए के बराबर शेयर पूंजी के समतुल्य अंशदान मुहैया कराने का भी प्रस्ताव दिया है।

खाद्य उद्योग : सं. अ. 2010-11 में 400.00 करोड़ रुपए से ब.अ. 2011-12 में 50% की बढ़ोतरी की गई है जो अब 600.00 करोड़ रुपए है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि के लिए ग्यारहवीं योजना के दौरान फ्लैगशिप अवसंरचना विकास योजनाएं अनुमोदित की गई हैं। सभी तीन घटकों अर्थात् मेगा फूड पार्क, शीत श्रृंखला, अवसंरचना का मूल्यवर्धन और संरक्षण तथा बूचड़खानों का आधुनिकीकरण के तहत आवंटन में बढ़ोत्तरी की गई ताकि इन योजनाओं के निष्पादन के स्तर में सुधार लाया जा सके।

प्रसंस्करण का स्तर बढ़ाने, मूल्यवर्धन सुनिश्चित करने तथा अपव्यय कम करने के लिए नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने, प्रौद्योगिकी उन्नयन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की क्षमता में विस्तार करने पर विशेष बल दिया गया है। अनुसंधान और विकास की परियोजनाओं पर अधिक आंवटनों का

प्रस्ताव किया गया है।

सांख्यानिक सुदृढ़ीकरण, क्षमता निर्माण तथा मानव संसाधन विकास पर पुनः जोर दिया जाने लगा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं उद्यमशीलता प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) को वित्त वर्ष 2011-12 में एक विश्व स्तरीय संस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तदनुसार निफ्टेम के लिए उच्च आवंटन का प्रस्ताव किया गया है।

ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास विभाग का 2011-12 के लिए केंद्रीय आयोजना परिव्यय 74100.00 करोड़ रुपए है। केंद्रीय आयोजना परिव्यय के मुख्य संघटक ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार, आवास निर्माण और सड़कें तथा पुल हैं।

ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम : वर्ष 2011-12 के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसआई) के लिए परिव्यय 2914 करोड़ रुपए है (जिसमें से पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम हेतु 292.40 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है)। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना दिनांक 1.4.1999 से अस्तित्व में आयी। इस परियोजना को एक ऐसे सम्पूर्ण कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है कि यह ग्रामीण गरीबों के संगठन को स्व-सहायता समूहों में परिवर्तित करने जैसे स्व-रोजगार के सभी पहलुओं को तथा उनकी क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, सामूहिक गतिविधियों का नियोजन, ढांचागत विकास, बैंक ऋण तथा सब्सिडी के माध्यम से वित्तीय सहायता और विपणन सहायता आदि को अपने में शामिल कर सके। यह पहचान किए गए मुख्य कार्यकलापों में लघु उद्यमों के विकास में सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने पर भी जोर देता है। निधियों का वहन केन्द्र तथा राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में किया जाता है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में यह अनुपात 90:10 है। इस योजना के लक्षित समूह में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण गरीब परिवार शामिल हैं। लक्षित समूह के अन्तर्गत, इस योजना के मार्गनिर्देशों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 40 प्रतिशत, अल्पसंख्यकों के लिए 15 प्रतिशत तथा विकलांगों हेतु 3 प्रतिशत की व्यवस्था की गई है। सरकारी, अर्द्ध सरकारी, गैर-सरकारी, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन तथा निजी कारपोरेट निकायों आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों सहित इसका जिलों तथा क्षेत्र में विस्तार करते हुए समयबद्ध परियोजना प्रणाली के अन्तर्गत महत्वपूर्ण पहल करने की दृष्टि से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों का 15 प्रतिशत भाग स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना विशेष परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है।

सुपुर्दगी को बेहतर करने और कवरेज को विस्तृत करने के लिए एसजीएसवाई को पुनर्सरचित करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) बनाने का निर्णय लिया गया है। इस मिशन की मुख्य विशेषताएं ये हैं - प्रत्येक बीपीएल परिवार को एसएचजी के तहत लाना, विभिन्न स्तरों पर समर्पित व्यावसायिक कार्यान्वयन संरचना स्थापित करना, लाभार्थियों के लिए पूंजी सब्सिडी में वृद्धि करना, ग्रामीण बीपीएल परिवारों को बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया (ब्याज सब्सिडी की शुरुआत) कराना, विभिन्न स्तरों पर जनस्वामित्व वाले संगठनों (जैसे एसएचजी संघ) को सुदृढ़ करना, कौशल विकास बढ़ाना। इसमें महिला किसानों के लिए निरन्तर आजीविका मुहैया कराने के लिए एनआरएलएम के उपघटक के तहत महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के लिए प्रावधान शामिल है।

समेकित बंजर विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) तथा मरू विकास कार्यक्रम (डीडीपी) को समेकित करते हुए एकीकृत जलसंभर प्रबंध कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के रूप में नया नाम दिया गया है। आईडब्ल्यूएमपी की संशोधित योजना को जलसंभर विकास परियोजनाएं, 2008 में दिए गए सामान्य दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जाना है। इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना का लागत मानदण्ड मैदानी इलाकों हेतु 12,000/- रुपए प्रति हेक्टेयर और पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए 15,000/- रुपए प्रति हेक्टेयर है । इस लागत का वहन केन्द्र तथा राज्यों के मध्य 90:10 के अनुपात में किया जाएगा। भूमिहीन लोगों की आजीविका गतिविधियों से सम्बद्ध राज्य, जिला तथा ग्राम स्तर की समर्पित संस्थाओं हेतु नए संघटकों को आईडब्ल्यूएमपी में शामिल किया गया है। 10वीं योजना तक स्वीकृत जल संभर परियोजनाएं मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित की जाती रहेंगी। 2011-12 के दौरान आईडब्ल्यूएमपी के लिए 2549.20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें पूर्वोत्तर तथा सिक्किम हेतु 254.90 करोड़ रुपए शामिल हैं।

ग्रामीण रोजगार : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 2011-12 केन्द्रीय परिव्यय 40000 करोड़ रुपए है। मनरेगा में हर वित्त वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए जिसके वयस्क सदस्य स्वैच्छिक तौर पर अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की मजदूरी के रूप में रोजगार प्राप्त करने की कानूनी गारंटी प्रदान करने की व्यवस्था है। 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ इस अधिनियम को इसके क्रियान्वयन के प्रथम चरण में देश के 200 जिलों में कार्यान्वित किया गया। 2007-08 के दौरान चरण-II के तहत अतिरिक्त 130 जिलों को इसकी परिधि में लाया गया। देश के शेष सभी जिलों को दिनांक 1.4.2008 से मनरेगा के तहत लाया गया है। सृजित परिसंपत्तियों का स्थायित्व और भूमि उत्पादकता में सुधार मनरेगा का अन्य कार्यक्रमों में समामेलन के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। श्रमिकों को त्वरित न्याय देने के लिए जिला स्तर पर लोकपाल स्थापित करके एक स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित किया जाएगा। अधिक कठोर तरीके से सामाजिक लेखा परीक्षा करके उचित परिणाम सुनिश्चित किया जाएगा जिससे मनरेगा के कार्यान्व्यन में पारदर्शिता और लोक दायित्व आएगा।

अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमः 2011-12 के लिए कुल आयोजना परिव्यय 1186.00 करोड़ रुपए का है जिसमें डीआरडीए के प्रशासन के लिए (461 करोड़ रुपए), एनआईआरडी (105 करोड़ रुपए), कापार्ट (100 करोड़ रुपए), ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा) (100 करोड़ रुपए) और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और जिला नियोजन प्रक्रियाओं का सुदृढ़ीकरण (120 करोड़ रुपए) बीपीएल सर्वेक्षण के लिए (300.00 करोड़ रुपए) शामिल है। "पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एक मुश्त व्यवस्था" शीर्ष के अन्तर्गत अलग से 109.60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

डीआरडीए प्रशासन स्कीम का उद्देश्य डीआरडीए को सुदृढ़ बनाना और इन्हें अधिक व्यावसायिक तथा प्रभावी बनाना है। इसे एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में देखा जाता है जो एक ओर मंत्रालय के गरीबी-रोधी कार्यक्रमों का प्रबंधन करने में समर्थ होगी तो दूसरी और जिलों में गरीबी उन्मूलन के समग्र प्रयास इससे कारगर तरीके से सम्बद्ध होंगे। प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए इस स्कीम का निधियन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 आधार पर और पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में 90:10 के आधार पर किया जाता है। इस स्कीम के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में केंद्र 100 प्रतिशत निधियां मुहैया कराता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) भारत में ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए शीर्ष निकाय है। ग्रामीण विकास के विकासात्मक मुद्दों और पंचायती राज के कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण संबंधी पाठ्यक्रम आयोजित करना एनआईआरडी के मुख्य विषय हैं।

लोक कार्य और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद का लक्ष्य विकास कार्यक्रमों तथा आवश्यकता आधारित अभिनव परिवर्तन के क्रियान्वयन में गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों के जरिए लोगों को शामिल करना है। कपार्ट अधिक सामाजिक अभिप्रेरणा, सामाजिक अवरोधों को कम करने और ग्रामीण जनता को सशक्त करके ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए जन जागरण सृजित करने के लिए कार्य करता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान का लक्ष्य गावों से शहरों में पलायन रोकने के लिए उनकी विकास क्षमता बढ़ाने हेतु अभिचिन्हांकित ग्रामीण समूहों में भौतिक और सामाजिक अवसंरचना में अन्तर को पाटना है।

"ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्रबंधकीय सहायता और जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण योजना" का लक्ष्य उचित आयोजना, समन्वयन और क्रियान्वयन, प्रशिक्षण और कौशल विकास, लक्षित समूहों के बीच जागरुकता लाना, प्रभावी मानीटरिंग और मूल्यांकन के लिए व्यापक पद्धति विकसित करना और सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्तराष्ट्रीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की आवश्यकता पूरी करना है।

बीपीएल सर्वेक्षण राज्यों को बीपीएल सर्वेक्षण करने के लिए सहायता मुहैया करने हेतु है ताकि इस मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लक्षित लाभों के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों की पहचान की जा सके।

पंचायती राज : पंचायती राज मंत्रालय के लिए 2011-12 का केन्द्रीय आयोजना परिव्यय 200 करोड़ रुपए (जिसमें से 20 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए निर्धारित है)। पिछड़ा क्षेत्र विकास अनुदान निधि के तहत राज्य आयोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता परिव्यय 5,050 करोड़ रुपए है। पंचायती राज मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण कार्य, संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबंधों और जिला नियोजन समितियों से संबद्ध संविधान के भाग IX क के अनुरूप 243 यघ के क्रियान्वयन की मानीटरी करना है। राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना स्कीम पंचायतों की क्षमता में सुधार हेतु राज्यों को सहायता प्रदान करती है और उन्हें आवश्यक प्रशासनिक तथा आधारभूत सहायता उपलब्ध कराती है ताकि वे उन्हें सौंपे गए कार्यों तथा स्कीमों का प्रभावी ढंग से निष्पादन कर सकें। पंचायत सशक्तीकरण तथा जवाबदेही प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य पंचायती राज के राज्य मंत्रियों के सातवें गोलमेज सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों को सुधार कार्य करने तथा पंचायतों को शक्तियों की सुपुर्दगी हेतु प्रोत्साहित करना है। बीआरजीएफ ने केन्द्र और राज्यों के संयुक्त प्रयास से कार्यक्रम और नीतियां बनाने की पहल शुरू की है जो विकास बाधाओं को दूर करेगा, विकास प्रक्रिया त्वरित करेगा और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा। इस योजना का लक्ष्य पिछड़े क्षेत्रों के लिए संकेन्द्रित विकास कार्यक्रम जो असंतुलन कम करने और विकास तेज करने में सहायता करेगा। पिछड़े जिलों में सभी स्तरों पर पंचायतों की बीआरजीएफ के तहत आयोजना और योजनाओं के क्रियान्वयन में केन्द्रीय भूमिका होगी।

भूमि सुधार : इस क्षेत्र के लिए केंद्रीय परिव्यय 150.50 करोड़ रुपए है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 15.00 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसमें से 0.50 करोड़ रुपए राष्ट्रीय पुनर्वास नीति के लिए हैं। भूमि सुधार के लिए, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, अधिकार के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, मानचित्र/सर्वेक्षण का आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से डिजीटलीकरण, पंजीकरण का कम्प्यूटरीकरण, संबंधित कर्मचारियों और पदाधिकारियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, तहसील/तालुक/सर्किल/खण्ड स्तर पर भूमि अभिलेखों और पंजीकरण कार्यालयों एवं आधुनिक अभिलेख कक्ष आदि के बीच संपर्क बनाना आदि शामिल है। एनएलआरएमपी के अंर्तगत सभी क्रियाकलाप एक व्यवस्थित तरीके से किए जाएंगे। जिला, कार्यान्वयन की प्राथमिक यूनिट होता है, में एनएलआरएमपी शुरू किया जाएगा। इसमें 12वीं योजना के अंत तक देश के सभी जिलों को कवर कर लिया जाएगा। एनएलआरएमपी के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय स्तर की परियोजना स्वीकृति और मॉनिटरिंग समिति परियोजनाओं और प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां प्रदान कर लगभग 167 जिलों को शामिल किया गया है।

संशोधित राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति (एनआरआरपी) 2007 में उन बुनियादी न्यूनतम जरूरतों की व्यवस्था है जो अनैच्छिक विस्थापन की ओर जाने वाली सभी परियोजनाओं की ओर ध्यान केंद्रित करेगी। राज्य सरकारें, पब्लिक क्षेत्र के उपक्रमों या एजेन्सियों और अन्य निकाय नीति में निर्धारित लाभों की अपेक्षा अधिक लाभों के स्तर प्राप्त करने हेतु तंत्रों की व्यवस्था करने में स्वतंत्र होंगे। यह उन व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्संस्थापन पर भी लागू होगा जो किसी अन्य कारण के अनैच्छिक रूप से स्थायी तौर पर विस्थापित हुए हैं। नीति का कारगर कार्यान्वयन और मानीटरिंग करने के लिए मानिटरिंग तंत्र में नेशनल ओवर साइट बॉडी, नेशनल मानीटरिंग समिति और मानीटरिंग कक्ष की स्थापना परिकलित है।

सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण

वृहत् और मध्यम सिंचाई: इस क्षेत्र के अन्तर्गत 277.19 करोड़ रुपए का परिव्यय जल संसाधन सूचना प्रणाली के विकास, जल-विज्ञान परियोजना, जल संसाधन विकास योजना का अन्वेषण, जल क्षेत्र अनुसंधान तथा विकास, राष्ट्रीय जल अकादमी, सूचना, शिक्षा और संचार, नदी पाला संगठन/प्राधिकरण, आधारभूत संरचना विकास और बांध सुरक्षा अध्ययन तथा नियोजन के लिए है।

लघु सिंचाई : इस क्षेत्र के अन्तर्गत जिन कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाना है उनमें शामिल हैंः (i) भू-जल प्रबन्धन और विनियमन, (ii) राजीव गांधी राष्ट्रीय भू-जल प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान और (iii) अवसंरचना विकास। इनके लिए 134.40 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

बाढ़ नियंत्रण : बाढ़-नियंत्रण क्षेत्र के अंतर्गत दो श्रेणी के कार्यक्रम हैं, (i) बाढ़ नियंत्रण योजनाएं/कार्यक्रम और (ii) बाढ़ नियंत्रण कार्यो के लिए विभिन्न राज्यों को सहायता। इस क्षेत्र के अंतर्गत बाढ़ पूर्वानुमान; सीमा क्षेत्रों में नदी प्रबंधन क्रियाकलाप; और पगलडीया डैम परियोजना और अवसंरचना विकास के लिए प्रावधान है। इस कार्यक्रम में बाढ़ सम्बन्धी आंकड़ों का व्यवस्थित संग्रहण, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्थापित बाढ़ पूर्वानुमान तथा चेतावनी केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए गहन निगरानी तथा बाढ़ पुर्वानुमान एवं चेतावनी जारी करना है।

परिवहन सेवाएं : इस क्षेत्र के लिए 70.40 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इसमें फरक्का बांध परियोजना शामिल है जिसका उद्देश्य भागीरथी हुगली नदी सिस्टम के डिजाइन तथा नौवहनता में सुधार करके कलकत्ता पोर्ट को सुरक्षित रखना एवं देख-रेख करना है।

ऊर्जा

विद्युत : विद्युत मंत्रालय के लिए 9642.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता सहित 66382.73 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। ये प्रावधान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर विद्युत निगम (नीपको) (87.50 करोड़ रुपए), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) (16.23 करोड़ रुपए), राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) (6000.00 करोड़ रुपए जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 673.30 करोड़ रुपए और एससीएसपी के लिए 600.00 करोड़ रुपए शामिल हैं), पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) (पूर्वोत्तर क्षेत्र और एससीपी के प्रावधानों सहित 2034.00 करोड़ रुपए), केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) (163.40 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई) (16.89 करोड़ रुपए), मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना (2.38 करोड़ रुपए), ऊर्जा संरक्षण (130.80 करोड़ रुपए), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (123.80 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय पनबिजली विद्युत निगम लि. (एनएचपीसी), (812.61 करोड़ रुपए) की परियोजनाओं के लिए हैं। 56740.73 करोड़ रुपए का आईईबीआर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि. (26400.00 करोड़ रुपए), एनएचपीसी लि. (4277.39 करोड़ रुपए), दामोदर घाटी निगम लि. (5890.59 करोड़ रुपए), नीपको (949.77 करोड़ रुपए), सतलुज जल विद्युत निगम लि. (1133.13 करोड़ रुपए), टिहरी जल विकास निगम लि. (389.85 करोड़ रुपए) और पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (17700.00 करोड़ रुपए) की योजनाओं/परियोजनाओं के लिए हैं।

नाभिकीय ऊर्जाः नाभिकीय ऊर्जा के लिए कुल परिव्यय 5581.00 करोड़ रुपए है। आयोजना परिव्यय में 1609.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता और आं.ब.बा.सं. के 3972.00 करोड़ रुपए शामिल हैं। बजटीय सहायता भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि. (भाविनी) के लिए इक्विटी में निवेश के लिए प्रावधान और रूसी परिसंघ की सहायता से कुडनकुलम में भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम लि. द्वारा कार्यान्वित की जा रही विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए 24.00 करोड़ रुपए शामिल है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र की परियोजनाएं भी विद्युत कार्यक्रम के लिए अनुसंधान व विकास सहायता प्रदान करने के लिए हैं।

पेट्रोलियम : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का योजना परिव्यय

74851.82 करोड़ रुपए है। आयोजना परिव्यय में 40.00 करोड़ रुपए बजटीय सहायता और 74811.82 करोड़ रुपए आं.ब.बा.सं. के रूप में है। बजटीय सहायता में राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, जैस, रायबरेली के लिए 39 करोड़ रुपए और गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शनों संबंधी योजना के लिए 1.00 करोड़ रुपए शामिल हैं। 74811.82 करोड़ रुपए में से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन (जिसमें प्राकृतिक गैस का परिवहन शामिल है) के लिए 48292.84 करोड़ रुपए, पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन और विपणन के लिए 24883.84 करोड़ रुपए, पेट्रोरसायन के लिए 1567.94 करोड़ रुपये और 68 करोड़ रुपए की व्यवस्था इन्जीनियरिंग हेतु की गयी है। ओएनजीसी, गेल, एचपीसी, बीपीसीएल, आईओसी, ओआईएल आदि द्वारा किया गया पूंजी व्यय परिव्यय के मुख्य घटकों ।

कोयला और लिग्नाइट : भारतीय अर्थव्यवस्था में आधारभूत ढांचा आधार के लिए ऊर्जा क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए, कोयला मंत्रालय के लिए आयोजना परिव्यय 9302.85 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इसे आंशिक रूप से 420 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता में से और आंशिक रूप से कोयला पीएयूज़ के 8882.85 करोड़ रुपए के आं.ब.बा.सं. में से पूरा किया जाएगा।

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा : इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पारिस्थितिकी अनुकूल तथा अनवरत रूप से पूरा करने हेतु ऊर्जा से नवीन तथा नवीकरणीय संसाधनों को विकसित करना तथा उनका उपयोग करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वर्ष 2011-12 के दौरान वार्षिक आयोजना में 2150.00 करोड़ रुपए (जिसमें आं.ब.बा.सं. के रूप में 950 करोड़ रुपए शामिल हैं) का परिव्यय रखा गया है। विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित वास्तविक लक्ष्य/क्रियाकलाप निर्धारित किए गए हैं।

(क) ***ग्रिड इंटरएक्टिव और वितरित नवीकरणीय विद्युत*** - पवन, लघुपन, बायोमास विद्युत/सहसर्जन से वर्धित 3540 मेगावाट ग्रिड इंटरएक्टिव विद्युत, शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा और सोर ऊर्जा, 142 मेगावाट ऑफ ग्रिड/वितरित नवीकरणीय विद्युत प्रणालियां। अनुसूचित जाति के लाभभोगियों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान भी शामिल है।

(ख) ***ग्रामीण अनुप्रयोग हेतु नवीकरणीय ऊजास*** 500 सुदूर गांवों/बस्तियों में एसपीवी/अन्य आरई प्रणालियों और युक्तियों के माध्यम से विद्युत/प्रकाश की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना, जिसमें डीआरपीएस भी शामिल है; परिवार बायोगैस संयंत्र की क्षमता 0.30 मिलियन एम^2 (संख्या में 1.5 लाख)

(ग) ***शहरी, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक अनुप्रयोग हेतु नवीकरणीय ऊर्जा:*** 1.00 मिलियन एम^3 सौर वाटर हीटिंग सिस्टम का नियोजन; ऊर्जा-सक्षम भवनों को प्रोत्साहन (5 मिलियन वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र) और सौर शहरों का विकास;

(घ) ***नवीकरणीय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास*** - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पहलुओं पर आरडीएंड डी क्रियाकलाप; एमएनआरई केन्द्रों/संस्थानों (एसईसी, सी-वेट और एनआईआरई) को सहायता; मानक और परीक्षण; नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन मूल्यांकन।

(ङ) ***सहायक कार्यक्रम*** - नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों का सूचना, प्रचार तथा विस्तार; अंतरराष्ट्रीय सम्बन्ध; मानव संसाधन विकास तथा प्रशिक्षण सहित प्रशासन और मॉनीटरिंग; राज्यों को सहायता, सरकारी उद्यम और उद्योग सौर मिशन के तहत शुरू किए जाने वाले मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलाप सहित)।

उद्योग और खनिज

लोहा एवं इस्पात उद्योगः इस्पात मंत्रालय का आयोजना परिव्यय 21102.71 करोड़ रुपए है जिसका वित्तपोषण 40 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता और 21062.71 करोड़ रुपए के आईईबीआर द्वारा किया जाएगा। 14337.00 करोड़ रुपए की राशि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (सेल) के लिए प्रदान की गई है। "सेल" के तहत योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रदान किए गए परिव्यय का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है : (i) भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए 6042.00 करोड़ रुपए जिसमें से 5730.00 करोड़ रुपए संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए हैं। शेष परिव्यय चालू योजनाओं के लिए है जैसे 700 टीपीडी आक्सीजन संयंत्र, कोक ओवन बैटरी (सीओबी) सं. 6 का पुनर्निर्माण और अन्य चालू एवं नई योजनाएं, (ii) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिए 950 करोड़ रुपए जिसमें 775.00 करोड़ रुपए की राशि इसके विस्तार के लिए निर्धारित है। अन्य योजनाओं में ईआरपी का कार्यान्वयन, संबद्ध सुविधाओं सहित ब्लूम कास्टर, बीएफ 3 और 4 में कोल डस्ट इंजेक्शन जैसी योजनाओं में श्रीनगर और कांगड़ा स्थित इस्पात प्रसंस्करण यूनिट पर व्यय शामिल है, (iii) राऊरकेला इस्पात संयंत्र के लिए 2950.00 करोड़ रुपए जिसमें 2619.00 करोड़ रुपए संयंत्र के विस्तार के लिए है। योजनाओं पर अन्य व्यय सीओबी-4 के पुनर्निर्माण, 700 टीपीडी आक्सीजन संयंत्र, कोक ओवन गैस होल्डर की स्थापना, एसएमएस-II के बीओएफ कन्वर्टर्स की एक साथ ब्लोइंग आदि से संबंधित है। (iv) 1700 करोड़ रुपए बोकारो इस्पात संयत्र के लिए हैं जिसमें 1309.00 करोड़ रुपए इसके विस्तार, सीओबी सं. 1 और 2 का पुनर्निर्माण, टर्बो-ब्लोअर स्टेशन में टीबी की संस्थापना, बी-एफ 3 बेलिया में इस्पात संस्करण यूनिट तथा अन्य चल रही एवं नई योजनाओं के उन्नयन के लिए हैं; (v) इस्को इस्पात संयत्र के लिए 2100.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है जिसमें इसके विस्तार के लिए (2069.00 करोड़ रुपए), सीओबी-10 के पुनर्निर्माण के लिए और शेष राशि अन्य चल रही और नई योजनाओं के लिए है; (vi) सम्मिश्र धातु इस्पात संयंत्र के लिए 25 करोड़ रुपए कई पूरी एवं चल रही परियोजनाओं के लिए है जिनकी लागत 20 करोड़ रुपए से कम है, (vii) सलेम इस्पात संयत्र के लिए 100 करोड़ रुपए जिसका बड़ा भाग (190 करोड़ रुपए) इसके विस्तार और अल्प मूल्य वाली विविध योजनाओं के लिए हैं; (viii) शेष 470 करोड़ रुपए का परिव्यय विश्वेस्वरैया लौह एवं इस्पात लि. (10 करोड़ रुपए), सेल की केन्द्रीय इकाईयों (100 करोड़ रुपए), कच्ची सामग्री प्रभाग (380 करोड़ रुपए) और महाराष्ट्र इलेक्ट्रोसमेल्ट लि. (10 करोड़ रुपए) को विभिन्न चालू एवं नई योजनाओं/परियोजनाओं तथा अनुसंधान कार्य के लिए दिया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त एनएचडीसी के लिए आईईबीआर से 3309.00 करोड़ रुपए की राशि मुख्यतया छत्तीसगढ़ में 3 मिलियन टन के इस्पात संयंत्र (2615.00 करोड़ रुपए) के लिए प्रदान की गई है। शेष परिव्यय बैलादिला डिपोजिट-11बी, कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना, डोनिमलाई में पेनेटाइजेशन प्लांट, एएमआर/टाउनशिप और आर एंड डी योजनाओं आदि जैसे योजनाओं/परियोजनाओं के लिए है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आरआईएनएल) के लिए आईईबीआर से 3096.00 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं जिसमें से 1600.00 करोड़ रुपए इसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 6.5 मिलियन टन करने के लिए निर्धारित किए गए हैं जबकि इस परिव्यय का शेष भाग एएमआर योजनाओं, कोक अवन बैट्री नं. 4 (चरण-I और II), एयर एयरथव प्लांट, नीएफ-1 श्रैणीमरम्मत, पलवेराइज्ड कोल इन्जेक्शन लौह अयस्क खानों और कोकिंग कोल खानों का अधिग्रहण, 67.5 मे.वा. टीजी-5 पावर इक्वएशन सिस्टम, आदि के लिए निर्धारित है। समग्र परिव्यय की पूर्ति कम्पनी के आईईबीआर से की जाएगी।

केआईओसीएल लि. के लिए कम्पनी केआईईबीआर से 98.00 करोड़ रुपए का आवेटन किया गया है जिसमें से 43.00 करोड़ रुपए एएमआर योजनाओं के लिए और 25.00 करोड़ रुपए कोक अवन प्लांट के लिए है। मैंगनीज और (इंडिया) लि. के लिए कम्पनी के आईईबीआर से निम्नलिखित में निवेश के लिए 107.71 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, सेल के साथ मैंगनीज/ मैंगनीज प्लांट के लिए संयुक्त आश्रम (25.00 करोड़ रुपए) बोबिली में आरआईएनएल के साथ फैरो मैंगनीज प्लांट (10.00 करोड़ रुपए), 3 खान

में वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग, एएमआर योजनाओं टाउनशिप, अनु. एवं वि. /व्यवहार्यता अध्ययन आदि के लिए। आईईबीआर में 136.00 करोड़ रुपए में से वनरोपण और पट्टा मामलों के लिए बर्ड ग्रुप ऑफ कम्पनीज, खनिज आधारित अन्वेषण कार्यकलापों और एमआर योजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। 2 करोड़ रुपए मेकॉन लि. को विभिन्न स्थानों पर कार्यालय स्थल/ अतिथि गृह की मरम्मत और विस्तार के लिए जिसकी पूर्ति आईईबीआर से की जाएगी। इसी प्रकार, 15.00 करोड़ रुपए की राशि एमएसटीसी लि. को नई योजनाएं शुरू करने के लिए और 12.00 करोड़ रुपए की राशि फैरो स्क्रैप निगम लि. को एएमआर योजनाओं के लिए निर्धारित की गई है।

अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगः खान मंत्रालय का परिव्यय 1589.42 करोड़ रुपए है, जिसमें 1369.42 करोड़ रुपए के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन शामिल हैं। परिव्यय मुख्यतः निम्नलिखित के लिए हैः-

(क) एल्युमीनियम (नाल्को) - 1057.00 करोड़ रुपए का आईईबीआर;

(ख) तांबा (हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड) - 297.00 करोड़ रुपए का आईईबीआर;

(ग) खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड - 17 करोड़ रुपए अनुदान घटक 8 करोड़ रुपये और आईईबीआर 9 करोड़ रुपए;

(घ) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण - 181.00 करोड़ रुपए;

(ङ) भारतीय खान ब्यूरो - 22 करोड़ रुपए का आईईबीआर;

(च) अन्य - 3.00 करोड़ रुपए अनुदान और 6.42 करोड़ रुपए आईईबीआर के व्यय में

उर्वरक उद्योगः वर्ष 2011-12 के लिए 3550.22 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जिसमें से, 3325.82 करोड़ रुपए की पूर्ति आंतरिक तथा बजट बाह्य संसाधनों से की जाएगी और शेष 225 करोड़ रुपए की राशि बजटीय सहायता द्वारा प्रदान की जाएगी। यह परिव्यय फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (60.74 करोड़ रुपए), ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स निगम लि. (67.80 करोड़ रुपए), मद्रास उर्वरक लिमिटेड (88.95 करोड़ रुपए),राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड (2363.08 करोड़ रुपए), प्रोजेक्ट डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड (9.73 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (283.30 करोड़ रुपए), कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड (654.96 करोड़ रुपए) एफसीआई-अरावली जिप्सम मिनरल इंडिया लि. (एफएजीएमआईएल) (4.15 करोड़ रुपए) और अन्य योजनाओं (7.50 करोड़ रुपए) के लिए हैं। 0.01 करोड़ रुपए का सांकेतिक प्रावधान विदेशों में संभावित संयुक्त उपक्रमों के लिए रखा गया है।

रसायन और पेट्रोरसायन उद्योगः रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के लिए परिव्यय 800.00 करोड़ रुपए है, जिसमें से 675.71 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के निर्धारित 80.00 करोड़ रुपए सहित) डिब्रुगढ़ (असम) में लेपेटकाटा में पेट्रोकेमीकल गैस क्रेकर काम्पलैक्स की स्थापना के लिए है।

भारी उद्योग विभाग : भारी उद्योग विभाग के लिए आयोजना परिव्यय 2124.79 करोड़ रुपए है जिसमें 1725.79 करोड़ रुपए के आ.ब.बा.सं. शामिल हैं। इस आवंटन में 39.90 करोड़ रुपए उत्तर-पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लिए, 355.40 करोड़ रुपए राष्ट्रीय आटोमेटिव परीक्षण और अनुसंधान व विकास अवसंरचना परियोजना (एनएटीआरआईपी) के लिए और 3.70 करोड़ रुपए विभाग के अन्य कार्यकलापों के लिए हैं। आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों सहित आयोजना परिव्यय 143.03 करोड़ रुपए सीमेन्ट और अधात्विक उद्योगों के लिए, 2,384.09 करोड़ रुपए इंजीनियरिंग उद्योगों और 390.88 करोड़ रुपए उपभोक्ता उद्योगों अर्थात हिंदुस्तान साल्ट्स लि., टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. और हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लि. के लिए हैं।

वार्षिक आयोजना में, मौटे तौर पर, रुग्ण पब्लिक सेक्टर उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्गठन, आटो क्षेत्र में परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास परियोजना का क्रियान्वयन और कैपिटल गुडस स्कीमें एवं जहां आवश्यक हो, जोड़/ परिवर्तन/प्रतिस्थापन शामिल हैं। रुग्ण/घाटे के पीएसई के पुनरुद्धार के प्रयास शुरू किए गए हैं। इस विभाग द्वारा बीआरपीएसई को भेजे गए सभी 27 पीएसई मामलों पर विचार किया गया है।

परमाणु उर्जा उद्योग : औद्योगिक और खनिज (आई एंड एम) क्षेत्र के अन्तर्गत परमाणु ऊर्जा विभाग में परिव्यय 1696.00 करोड़ रुपए है जिसमें 1256.00 करोड़ रुपए बजटीय सहायता और 440 करोड़ रुपए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आं. ब ब. बाह्य संसाधनों के रुप में हैं। 440 करोड़ रुपए के आं. ब बा. सं. में इंडियन रेयर अर्थ लि., इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि. और यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि. जैसे विभाग के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए प्रावधान शामिल है। बजटीय सहायता में दसवीं योजना की चल रही स्कीमों और बारहवीं योजना की भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, नाभिकीय ईंधन कम्पलेक्स, हैवी वाटर बोर्ड और रेडिएशन एवं आइसोटोप टेक्नोलोजी के बोर्ड की नई योजनाओं के लिए प्रावधान शामिल है। यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि. में इक्विटी में निवेश के रूप में बजटीय सहायता की भी परिकल्पना की गई है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के लिए 3250.00 करोड़ रुपए (आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों के रूप में 550 करोड़ रुपए सहित) का परिव्यय है। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (1037.00 करोड़ रुपए), खादी के लिए विपणन विकास सहायता सहित खादी अनुदान (227.48 करोड़ रुपए), ग्रामोद्योग अनुदान (55 करोड़ रुपए, प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता (70.82 करोड़ रुपए),राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. (790.00 करोड़ रुपए) (520.00 करोड़ रुपए काआईईबीआर और 155.00 करोड़ रुपए की निवेश इक्वटी शेयर पूंजी सहित) और प्रौद्योगिकी सहायता संस्थान और कार्यक्रम की गुणवत्ता 523.90 करोड़ रुपए) के लिए है।

वस्त्रोद्योगः कपड़ा मंत्रालय के लिए 5000.00 करोड़ रुपए का परिव्यय मुख्यतः इनके लिए है; (i) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना-3100 करोड़ रुपए (ii) एकीकृत टेक्सटाईल पार्क योजना-347 करोड़ रुपए, (iii) हथकरघा उद्योगों के लिए 460 करोड़ रुपए (iv) हस्तकला उद्योगों के लिए 245 करोड़ रुपये, (v) रेशम कीटपालन के लिए 313 करोड़ रुपये (vi) बड़े समूहों के विकास के लिए 115.30 करोड़ रुपए (vii) एनआईएफटी आदि के लिए 128 करोड़ रुपये।

परिवहन

रेलवे : रेलवे का वार्षिक आयोजना परिव्यय 57,630.00 करोड़ रुपए है। इस राशि में से, 21040.63 करोड़ रुपए की पूर्ति बजटीय सहायता से की जाती है, जिसमें रेलवे का अंशदान डीजल उपकर में से 1040.63 करोड़ रुपए का अंशदान शामिल है। प्रस्तावित लक्ष्य 3500 कि. मी. का ट्रैक नवीनीकरण, 1000 रूट किमी. का विद्युतीकरण, 1018 किमी. का गेज परिवर्तन, 1300 किमी. की नई रेल लाइनें, 667 कि. मी. दोहरी लाइन बिछाना तथा अतिरिक्त 580 रेल इंजनों का विनिर्माण करके लक्ष्य प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है।

सड़क परिवहन और राजमार्गः सड़क नेटवर्क का विकास तथा उचित रख-रखाव आर्थिक विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा अंतरक्षेत्रीय अंतरों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्र में निवेश पर बल देने के लिए बजटीय सहायता बढ़ाई गई है। निम्नलिखित सारणी वर्ष 2011-12 के लिए केंद्रीय सड़क निधि से व्यय का प्रावधान दर्शाती है :-

(करोड़ रुपए)

मद		
-	राज्यों को अनुदान	2159.26
-	राज्यों को अन्तर्राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान	232.27
-	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान	88.49
-	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तर्राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण	
-	सड़कों के लिए अनुदान	17.48
-	एनएचएआई में निवेश	8250.00
-	राष्ट्रीय राजमार्गों पर पूंजी परिव्यय	1161.87
-	रेलवे	1040.63
-	ग्रामीण सड़कें	5550.00
	जोड़	**18500.00**

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में निवेश को छोड़कर राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 6302.34 करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान है और सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा निष्पादित कार्य के लिए 470.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र घटक को छोड़कर) का प्रावधान है।

पोत परिवहन- भारतीय पोतपरिवहन, पत्तनों, अंतर्देशीय जल परिवहन और पोतनिर्माण उद्योगों के विकास और विस्तार के लिए पोत परिवहन मंत्रालय का आयोजना परिव्यय 6524.92 करोड़ रुपए है (जिसमें आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों के रूप में 5774.92 करोड़ रुपए शामिल हैं)। पत्तन क्षेत्र में इन परियोजनाओं के लिए (976.40 करोड़ रुपए) प्रावधान किया गया है नामतः अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सुनामी के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास के निर्माण कार्य (96.00 करोड़ रुपए); भरमुगाव पोर्ट ट्रस्ट में मेकैनिकल और हैंडलिंग प्लांट का आधुनिकीकरण (ईएपी के रूप में 113.70 करोड़ रुपए), विशाखापट्टनम के के बाहरी बंदरगाह में आयरन और हैंडलिंग सुविधाओं का उन्नयन (ईएपी के रूप में 80.00 करोड़ रुपए), कोच्चिन पोर्ट ट्रस्ट रेल कनेक्टिविटी (97.00 करोड़ रुपए), सर्वेक्षण पोत (15.00 करोड़ रुपए); सेतु समुद्रम जहाज नहर परियोजना (10.00 करोड़ रुपए); एएलएचडब्ल्यू पोत परिवहन क्षेत्र (17.77 करोड़ रुपए) में इन परियोजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है जो मुख्यतः इंडियन मैरीटाइम उद्योगों का विकास (40.00 करोड़ रुपए), डीजी(एलएल) (78.60 करोड़ रुपए); पोत निर्माण और मरम्मत और डीजी नौवहन (15.00 करोड़ रुपए) के लिए है। राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए 130 करोड़ रुपये के परिव्यय का आवंटन किया गया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 63 करोड़ रुपये का प्रावधान भी शामिल है।

नागर विमाननः नागर विमानन मंत्रालय के लिए 9071.56 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जिसमें 1700.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता शामिल है। नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय पुनर्संरचना प्रक्रिया के भाग के रूप में 1200 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 280.15 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता प्रदान की गई है जिसमें से पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई अड्डों के विकास हेतु 93.48 करोड़ रुपए हैं। 60 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता नागर विमानन महानिदेशालय के लिए दी गई है जिससे वे अपनी आयोजना स्कीमों को कार्यान्वित कर सकेंगे। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो को उसकी आयोजना स्कीमें पूरी करने के लिए 136.35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मंत्रालय (मुख्य) की आयोजना स्कीमों के व्यय की पूर्ति के लिए 9.50 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता निर्धारित की गई हैं। बैसिक हेलीकॉफ्टर रिगुलेटर के अधिग्रहण 57630.00 करोड़ रुपए के लिए पवन हंस हेलीकाप्टर्स लि. को 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी और एयरो क्लब आफ इंडिया को क्रमशः 5.00 करोड़ रुपये और 6.00 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता मुहैया करायी गई है।

ग्रामीण सड़कें (सड़कें और पुल)ः वर्ष 2011-12 के लिए की गयी कुल 20000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता में से 1782.90 करोड़ रुपए का प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए रखा गया है।

उक्त ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए प्रावधान रखा गया है। 25 दिसम्बर, 2000 को आरम्भ की गई यह योजना शत प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 500 व्यक्तियों से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग से नहीं जुड़ी हुई बस्तियों को जोड़ना है। पहाड़ी राज्यों (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड) आदीवासी क्षेत्रों और मरूस्थल क्षेत्रों के संबंध में 250 अथवा अधिक व्यक्तियों की आबादी वाली बस्तियों को सड़क मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य है। हाल ही में चुनिंदा पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों में एकीकृत कार्य योजना लागू करने के लिए योजना आयोग द्वारा अभिचिन्हित 250 व्यक्तियों या इससे अधिक आबादी वाले 60 जिलों में पर्यावास कार्यक्रम के तहत कवरेज बढ़ाने के लिए कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया है, गांवों की मौजूदा सड़कों के स्तर का उन्नयन भी इसमें किया जाएगा जिसपर आने वाली 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकारों द्वारा अदा करनी होगी, आशा है कि इस कार्यक्रम के तहत 3.75 लाख कि.मी. सड़क कवर की जाएगी।

ग्रामीण सड़कों को भारत निर्माण के छह घटकों में से एक घटक के रूप में चिन्हित किया गया है जिसका लक्ष्य सभी मौसम में चलने वाली सड़कों द्वारा 1000 जनसंख्या वाले सभी गांवों (पहाड़ी अथवा आदिवासी क्षेत्रों के मामले में 500) को जोड़ता है। भारत निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2012 तक 54,648 बसाहटों को जोड़ने का लक्ष्य है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों को सहायता मुहैया कराने के लिए क्रमशः एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और विश्व बैंक द्वारा दी गई सहायता से विभिन्न राज्यों में दो विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं नामतः ग्रामीण सड़क क्षेत्र परियोजना I एवं II और ग्रामीण सड़क परियोजना I एवं II क्रियान्वित की जा रही हैं। आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों के रूप में नाबार्ड ने आरआईडीएफ विंडो के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। इसकी ऋण अदायगी और ब्याज भुगतान देयता केन्द्रीय सड़क निधि से ग्रामीण सड़कों के लिए बजटीय सहायता के माध्यम से किया जाता है।

संचार

डाक सेवाएंः 800.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कुल परिव्यय प्रावधान 83.75 करोड़ रुपए है। इसमें भारतीय डाक का प्रौद्योगिकी समावेशन और उद्यमिता प्रबंधन के जरिए समग्र विकास और प्रतिस्थापन पर जोर दिया गया है। विभिन्न एजेंसियों/संगठनों के साथ संपर्कों के माध्यम से और पूरे देश में ई-अभिशासन पहले देते हुए नेटवर्क का प्रभावी ढंग से उपयोग और विभिन्न अभिकरणों/संगठनों के साथ संयोजन के जरिए मूल्य वर्द्धित सेवाएं, पहुंचाने का लक्ष्य है। योजना की स्कीमें और मांगें उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु निर्देशित हैं। आयोजना का मुख्य जोर सूचना प्रौद्योगिकी समावेशन संबंधी स्कीमों - डाक संचालन (676.50 करोड़ रुपए), मेल संचालन (49.93 करोड़ रुपए), संपदा प्रबंधन (24 करोड़ रुपये), विपणन, अनुसंधान और उत्पाद विकास (15.39 करोड़ रुपए), और मानव संसाधन प्रबंधन (15 करोड़ रुपए) के लिए है। अन्य प्रमुख परियोजनाओं में बैंकिंग और मनीट्रांसफर आपरेशन (8.50 करोड़ रुपए) बीमा कार्य (5 करोड़ रुपए), डाक टिकट संचालन (4.90 करोड़ रुपये), गुणवत्ता प्रबंधन (0.50 करोड़ रुपये), और पोस्टल नेटवर्क पहुंच (0.28 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

दूरसंचार सेवाएं : दूर संचार विभाग के लिए परिव्यय 19881.09 करोड़ रुपए है जिसमें 3418.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता शामिल हैं। 264.64 करोड़ रुपए जिसमें दूरसंचार इंजीनियरिंग प्रशिक्षण केंद्र के लिए सी-डॉट के लिए 2.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 30.78 तथा टीएसपी के लिए 0.80 करोड़ रुपए), रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क (पूर्वोत्तर के लिए 100.00 करोड़ रुपए सहित) हेतु 1000.00 करोड़ रुपए, दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र द्वारा एनजीएफ परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए 7.94 करोड़ रुपए (जिसमें 0.52 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर के लिए नियत है), यूनीवेसेल सेवा बाध्यता (यूएसओ) के तहत स्कीमों के लिए टीएसपी हेतु 2100.00 करोड़ रुपए (इसमें से 210 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा 7.56 करोड़ रुपए टीएसपी के लिए हैं), 2.00 करोड़ रुपए (एक करोड़ रुपए मौलिक अवसंरचना तथा 1.00 करोड़ रुपए राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान द्वारा सेवा-मध्य प्रशिक्षण के लिए है) और प्रौद्योगिकी विकास निवेश के संवर्धन हेतु 3 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

सूचना प्रौद्योगिकीः सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) देश में इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय नीतियां तैयार करने, क्रियान्वयन करने एवं समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। डीआईटी के लिए आयोजना परिव्यय 3619.07 करोड़ रुपए (जिसमें आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों के रूप में 619.01 करोड़ रुपए शामिल है)। बजटीय सहायता में पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम हेतु लाभ सहित 300.00 करोड़ रुपए का एससीएसपी के लिए 60.00 करोड़ रुपए तथा टीएसपी के लिए 201.00 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। इस आयोजना का फोकस निम्नलिखित योजनाओं के सम्बन्ध में है इस योजना में जिन स्कीमों पर जोर दिया गया है वे हैं - ढांचागत विकास (2270.85 करोड़) जिसमें ई-गवर्नेस के लिए (1087.31 करोड़ भी शामिल है), राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (250.00 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (754.00 करोड़), (ii) अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम (550.08 करोड़) जिसमें सूक्ष्म इलेक्ट्रानिक्स (100.00 करोड़) तथा सी-ड्रैक 203.40 करोड़ रुपए), (iii) मानव संसाथन विकास कार्यक्रम (139.09 करोड़) तथा (iv) सूचना विज्ञान विभाग (मुख्या.) (39.98 करोड़)। विभाग के महत्वपूर्ण क्षेत्र

हैं (i) आम आदमी तक सभी सरकारी सेवाओं की पहुंच के लिए ई-गवर्नेंस, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस आयोजना (एनईजीपी) में 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट और 8 सहायता संघटक शामिल हैं जिन्हें केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारी स्तरों पर कार्यान्वित किया जाएगा; (ii) देश भर में ज्ञान संबंधी संस्थाओं को जोड़ने हेतु बहुल गिगाबीट बैंडविथ युक्त राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना; (iii) इलेक्ट्रॉनिक्स/आईटी हार्डवेयर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स/आईटी हार्डवेयर विनिर्माण उद्योग कार्यक्रम; (iv) राष्ट्रीय साइबर स्पेश और इसकी परिसम्पत्तियों की रक्षा के लिए साइबर सुरक्षा रणनीति में बहु-आयामी कार्रवाई शामिल है; (v) उभरती ज्ञान अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पूर्ति हेतु चुनिंदा क्षेत्रों में क्षमता निर्माण हेतु मानव संसाधन विकास कार्यक्रम (नैनो टेक्नोलॉजी, विद्युत तथा संचार, कम्प्यूटर विज्ञान, जैव-प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, विनिर्माण, मेकाट्रोनिक्स)।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण

परमाणु ऊर्जा अनुसंधानः अनुसंधान और विकास क्षेत्र के लिए 2735.00 करोड़ रुपए का आयोजना परिव्यय भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र, परिवर्ती ऊर्जा, साइक्लोट्रोन केन्द्र, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, टाटा स्मारक केन्द्र, साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, भौतिकी संस्थान, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, शिक्षा एवं अनुसंधान, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, हरिश्चन्द्र अनुसंधान संस्थान, गणित विज्ञान संस्थान, परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी में निरन्तर अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकियों का विकास तथा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम और नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड, राष्ट्रीय उच्च गणित बोर्ड आदि जैसे इसके अनुसंधान केन्द्रों के माध्यम से परमाणु ऊर्जा की दसवीं योजना की जारी स्कीमों को और XI वीं योजना की नई स्कीमों को कार्यान्वित करने हेतु है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड, राष्ट्रीय उच्च गणित बोर्ड जैसी दूसरी संस्थाओं के लिए निधिपोषण है। अंतर्राष्ट्रीय थरमोन्युक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर, ज्यूल्स होरोबिट्ज रिएक्टर एंड डीएई-यूआईसीटी सेंटर फॉर केमिकल इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड रिसर्च में भारतीय भागीदारी के लिए व्यय की व्यवस्था है। परिव्यय में परमाणु अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय द्वारा यूरेनियम के सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण अन्वेषण जैसी अन्य परियोजनाएं भी शामिल हैं।

अंतरिक्ष अनुसंधानः अंतरिक्ष विभाग के लिए वार्षिक आयोजना परिव्यय 5700.00 करोड़ रुपए है, जिसमें निम्नलिखित के लिए प्रावधान शामिल हैं:-

(i) अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिये, 3444.31 करोड़ रुपए जिसमें यह शामिल है (क) प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के लिए 1755.51 करोड़ रुपए, जीएसएलवी एमके-III विकास के लिए 125.64 करोड़ रुपए, क्रायोजेनिक अपर स्टेज (सीयूएस) परियोजना के लिए 0.10 करोड़ रुपए, पोलर सैटेलाइट प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी-सी) जारी रखने की परियोजना के लिए 250.00 करोड़ रुपए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (वीएसएससी) के लिए 463.03 करोड़ रुपए, इसरो इनर्शियल सिस्टम्स यूनिट (आईआईएसयू) के लिए 39.74 करोड़ रुपए, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर (एलपीएससी) के लिए 231.33 करोड़ रुपए, जीएसएलवी प्रचालनात्मक परियोजना के लिए 292.40 करोड़ रुपए तथा अंतरिक्ष कैप्सूल रिकवरी प्रयोग के लिए 4.40 करोड़ रुपए, मानव संचालित मिशन पहलों/मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए 98.81 करोड़ रुपए, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए 100.00 करोड़ रुपए, सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकास के लिए 150.00 करोड़ रुपए; (ख) उपग्रह प्रौद्योगिकी के लिए 1305.98 करोड़ रुपए, जिसमें ओशनसेट-2 और 3 के लिए 1.60 करोड़ रुपए शामिल है, रिसोर्स सैट-2 और 3 के लिए 32.66 करोड़ रुपए, इसरो उपग्रह केन्द्र (आईएसएसी) के लिए 233.00 करोड़ रुपए, इलेक्ट्रोऑप्टिक सिस्टम की प्रयोगशाला के लिए 42.85 करोड़ रुपए, रडार इमेजिंग सैटेलाइट-1 (रिसाट-1) के लिए 0.95 करोड़ रुपए, जीएसएटी-4/जीएसएटी-11 ईएम के लिए 50.00 करोड़ रुपए नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम के लिए 45.72 करोड़ रुपए, सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला के लिए 45.72 करोड़ रुपए, विकसित संचार उपग्रह जी सेट-II प्रक्षेपण सेवा सहित के लिए 410 करोड़ रुपए, सरल के लिए 22.50 करोड़ रुपये और अर्थ अवजर्वेशन-नई मिशन (टीईएस हाइपरस्पेक्ट्रल, डीएम-एसएआर-1, कार्टोसेट-3, ईएनवी-आईएसएटी, स्केटसैट, रिसैट-3, फ्यूचर (यूरो मिशन एंड जीसैट) के लिए 200.00 करोड़ रुपए और (ग) प्रक्षेपण सहायता, ट्रैकिंग नेटवर्क और रेंज सुविधाओं के लिए 382.82 करोड़ रुपए जिसमें सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र (एसडीएससी-एसएचआर) के लिए 337.25 करोड़ रुपए, इसरो टेलीमेटरी ट्रैकिंग और कमाण्ड नेटवर्क (आईएसटीआरएसी) के लिए 45.57 करोड़ रुपए शामिल है।

(ii) अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए 629.09 करोड़ रुपए का प्रावधान है जिसमें अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एसएसी) के लिए 291.99 करोड़ रुपए, विकासात्मक और शैक्षिक संचार यूनिट (डीईसीयू) के लिए 73.56 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सिस्टम (एनएनआरएमएस) के लिए 73.56 करोड़ रुपए, अर्थ अबजर्वेशन एप्लीकेशन मिशन (ईओएएम) के लिए 2.53 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदी केन्द्र (एनआरएससी) के लिए 145.55 करोड़ रुपए, आपदा प्रबंधन सहायता के लिए 34.57 करोड़ रुपए और पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एनई-एसएसी) के लिए 6.07 करोड़ रुपए शामिल है।

(iii) अंतरिक्ष विज्ञान के लिये 313.23 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पी.आर.एल.) के लिये 46.31 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय वायुमण्डलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एनएआरएल) के लिए 16.44 करोड़ रुपए, 0.01 करोड़ रुपये राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण अध्ययन संस्थान (एनआईसीईएस) के लिए अकादमी संस्थाओं में प्रायोजित अनुसंधान (रेस्पोंड) परियोजनाओं में 15.00 करोड़ रुपए, सेंसर पेलोड विकास/उपग्रहीय विज्ञान कार्यक्रम के लिए 30.00 करोड़ रुपए, मेगा ट्रोपिक परियोजना के लिए 2.00 करोड़ रुपए, आदित्य परियोजना के लिए 40.00 करोड़ रुपए, एस्ट्रोसैट 1 और 2 परियोजना के लिए 10.00 करोड़ रुपए, इंडियन लूनर मिशन चन्द्रयान-1 और 2 के लिए 80.00 करोड़ रुपए, इसरो ज्योस्फेर-बायोस्फेर कार्यक्रम के लिए 27.74 करोड़ रुपए, वायुमण्डलीय विज्ञान कार्यक्रम के लिए 25.20 करोड़ रुपए, वायुमंडलीय अध्ययन और खगोल विज्ञान हेतु छोटे उपग्रह के लिए 5.00 करोड़ रुपए और अन्तरिक्ष विज्ञान संवर्धन, बैलून सुविधा, बहु संस्थागत अनुसंधान कार्यक्रमों, अंतरिक्ष केन्द्र प्रयोग माइक्रो गुरुत्वकर्षण अनुसंधान के लिए 17.00 करोड़ रुपए आदि शामिल हैं।

(iv) निदेशन और प्रशासन/अन्य कार्यक्रम के लिए 254.47 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें स्पेशियल इंडीजेनाइजेशन/एडवांस ऑर्डरिंग के लिए 238.70 करोड़ रुपए और इसरो मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केन्द्र प्रबंधन जैसे अन्यों के लिए 15.91 करोड़ रुपए शामिल है।

(v) इंसेट कार्यात्मकता के लिए 1058.30 करोड़ रुपए का प्रावधान है जिसमें मास्टर कंट्रोल सुविधा (एमसीएफ) के लिए 17.80 करोड़ रुपए का प्रावधान, इनसैट 3 सैटेलाइट परियोजना के लिए 127.40 करोड़ रुपए जिसमें प्रक्षेपण सेवाएं शामिल हैं, और प्रक्षेपण सेवाओं सहित इनसैट-4 उपग्रह परियोजना के लिए 913.10 करोड़ रुपए शामिल है।

समुद्र विज्ञान अनुसंधान और मौसम विज्ञानः पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के लिए 1220.00 करोड़ रुपए का परिव्यय है जिसमें 816.00 करोड़ रुपए समुद्र विज्ञान अनुसंधान के लिए, मौसम विज्ञान के लिए 352.00 करोड़ रुपए, अन्य वेज्ञानिक अनुसंधान हेतु 52.00 करोड़ रुपए शामिल हैं। समुद्र विज्ञान अनुसंधान के अन्तर्गत (i) 260.00 करोड़ रुपए ध्रुव विज्ञान के अन्तर्गत रखे गए हैं जिसमें अन्टार्टिका में भारतीय प्रयासों को जारी रखने, तीसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र की स्थापना पर व्यय करने हेतु और 15.00 करोड़ रुपए देश में अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना हेतु राष्ट्रीय अन्टार्टिका एवं महासागर अनुसंधान केन्द्र के अन्तर्गत मुहैया कराए गए हैं; (ii) 18 करोड़ रुपए की राशि की पोलिमेटैलिक नोडयूल्स के लिए अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास के लिए व्यवस्था की गयी है; (iii) 20.00 करोड़ रुपए की राशि महासागर पर्यवेक्षण और सूचना प्रणाली कार्यक्रम के लिए उपलब्ध होगी और 25.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के लिए है; (iv) सागर मंजूषा और मूर्ड डाटा बॉथ नेटवर्क के प्रचालन और रखरखाव हेतु 18.00 करोड़ रुपए; (v) राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान को उसकी गतिविधियों के लिए 45.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, (vi) 10.00 करोड़ रुपये अलवणीकरण परियोजना के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, (vii) 78.00 करोड़ रुपए समुद्री जीवित संसाधन, जैविक समुद्र से औषधि, समुद्री निर्जीव संसाधन, कोमाप्स, जनशक्ति प्रशिक्षण, प्रदर्शनियां, समुद्री अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के अधीन सेमिनार और संगोष्ठी के लिए सहायता जैसी विभाग की अन्य चल रही गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं; (viii) 5.00 करोड़ रुपए और 18.00 करोड़ रुपए क्रमशः सम्पूर्ण भारतीय ईईजेड का व्यापक स्वैथ बाथमेट्रिक

(धरातलीय) सर्वेक्षण, गैस हाइड्रेट कार्यक्रम के लिए रखे गए हैं। (ix) हिन्द महासागर में सूनामी और तूफान आने की चेतावनी देने की प्रणाली की स्थापना के लिए 12.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है; (x) 5.00 करोड़ रुपए समुद्र के अंदर लगाई जाने वाली मानव चलित मशीनों के विकास के लिए है; (xi) 15.00 करोड़ रुपए एक आर्कटिक अभियान के लिए रखे गए हैं; (xii) 5.00 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रायोगिक परियोजना के माध्यम से तटीय सुरक्षा उपायों के प्रदर्शन के लिए किया गया है; (xiii) 6.00 करोड़ रुपए राशि की एकीकृत महासागर ड्रिलिंग कार्यक्रम (आईओडीपी) के लिए व्यवस्था है; (xiv) बर्फ श्रेणी अनुसंधान पोत के लिए 69.00 करोड़ रुपए का किया गया है और 5.00 करोड़ रुपए का प्रावधान मुख्यालय भवन के लिए किया गया है; (xv) 7.00 करोड़ रुपये सूचना प्रौद्योगिकी के लिए हैं; (xvi) महाद्वीपीय किनारे की बाहरी सीमा की रूपरेखा तैयार करने के लिए 1.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। (xvii) नेशनल सेंटर फॉर मिडियम रेंज वेदर फोरकास्ट (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ) के लिए 15.00 करोड़ रुपये और भारतीय उष्णकटिबंध मौसम विज्ञान संस्थान के लिए 37.00 करोड़ रुपये, (xviii) 352.00 करोड़ रुपए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आधुनिकीकरण के पहले चरण के क्रियान्वयन के लिए है तथा जिसमें अन्य चल रहे क्रियाकलापों जैसे अंतरिक्ष मौसम विज्ञान, कृषि परामर्शी सेवाएं, प्रचालन और रखरखाव, विमानन मौसम विज्ञान तथा राष्ट्रमंडल खेल के लिए है। (xix) अन्य कार्यकलापों जैसे बहु आपदा पूर्व चेतावनी सहायता प्रणाली हेतु (5.00 करोड़ रुपये), जलवायु परिवर्तन केंद्र के लिए (36.00 करोड़ रुपये), पृथ्वी तथा वायुमंडलीय विज्ञान में अनुसंधान और विकास 45 करोड़ रुपये, भूकंपीय नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, भूकंप और भूचाल के प्रारम्भिक अध्ययन 36 करोड़ रुपये) के लिए 50.00 करोड़ रुपए भी हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी : विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की आयोजना स्कीमों हेतु परिव्यय 2349.00 करोड़ रुपए है जो कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार अग्र और उभरने वाले क्षेत्रों में बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास के संवर्धन के लिए है। ये क्षेत्र भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और इंजीनियरी, पृथ्वी और वायुमंडलीय विज्ञान, इंस्ट्रूमेंटेशन विकास, औषधि और भेषज विज्ञान संबंधी अनुसंधान से संबद्ध हैं और इसमें नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय मिशन, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, उच्च शिक्षा में विज्ञान के लिए छात्रवृत्तियां पर्यवेक्षण समिति की सिफारिश के अनुसार भी शामिल हैं। उद्यमकारिता सहित सामाजिक-आर्थिक विकास के कार्यक्रमों पर उचित बल दिया जा रहा है। नए और अन्तरविषयक क्षेत्रों जैसे जल प्रौद्योगिकी पहल में, कई अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को सहायता दी जाती है, अनुप्राणित अनुसंधान के लिए विज्ञान में नवाचार (इंस्पायर), इनोवेशन क्लस्टर्स, सुरक्षा प्रौद्योगिकी पहल, बुनियादी अनुसंधान और सौर ऊर्जा पहल (सेरी) तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय लिंग आधारित विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की गई है तथा इनमें से महिलाओं के लिए उपयुक्त आवंटन निर्धारित किया गया है। एसएएसपी तथा टीएसपी के लिए भी निधियां की गयी हैं।

अन्य वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधानः विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के लिए 1930.00 करोड़ रुपए का परिव्यय है। यह विभाग के प्रौद्योगिकी संवर्धन, विकास एवं उपयोग कार्यक्रमों तथा सीएसआईआर और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि. राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास निगम और परामर्श विकास केंद्र को इसकी सहायता के लिए है। इस परिव्यय का मुख्य भाग सीएसआईआर को सहायता अनुदान देने के लिए भी है, जिसका उद्देश्य अनुप्रयुक्त अनुसंधान पर बल देते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करके उनके परिणामों का आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक लाभों को अधिकाधिक बढ़ाना है। कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिनकी सहायता की जाएगी उनमें विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को उपयुक्त क्षेत्रीय विमान की डिजाइन तैयार करना और विकास करना, लक्षित जनसंख्या के लिए कम लागत वाली, सुरक्षित, स्वास्थकर, पोषक और स्वास्थ्यवर्धक भोजन के लिए उत्तम खाद्य प्रसंस्करण प्रौदद्योगिकी प्रयुक्त करना; परजीवी बीमारियों के लिए नया औषधि विकास कार्यक्रम, नए निदानों के लिए इंजीनियरी पेप्टाइड्स और प्रोटीन, स्वास्थ्य और रोग निदान में नैनो सामग्री और नैनो उपस्कर प्रयुक्त करना, एक एकीकृत जीव वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा जीनोटाईप का पता लगाना - जटिल मानव विकृतियों के लिए फेनोटाइप को-रिलेशन, मुक्त स्रोत औषध अन्वेषण (ओएसडीडी) कार्यक्रम, पर्यावरण अनुकूल परिवर्तन के लिए जानकारी और प्रौद्योगिकी का विकास करना, बायोमास को ईंधन, स्नेहक, योगज की तरह प्रयुक्त करना, हाइड्रोजन आर्थिक पहल - जनता के समक्ष बड़ी चुनौतियों का सामना करना, ईंधन सेल प्रयुक्त करके हाइड्रोजन का भंडारण और परिवर्तन, उच्च क्षमता की फ्रिक्वेंसी वाले सूक्ष्म तरंगी पंपों के लिए डिजाइन और संरचना, एलईडी उपकरणों की संरचना और ठोस प्रकाशीय उपकरणों के लिए प्रणाली, इंजीनियरी अनुप्रयोग के लिए उन्नत हल्की धात्विक सामग्री विकसित करना, मौसम विज्ञान का उन्नयन, भारत के आसपास मौजूद पानी के लिए अनुमान प्रणाली के विकास के लिए विज्ञान आदि शामिल हैं। यह कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी लाभ के आधार पर वैश्विक नेतृत्व हासिल करने के लिए नई सहस्त्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल (एनएमआईटीएलआई) संबंधी स्कीम के लिए भी सहायता मुहैया करेगा। इसके अतिरिक्त, एसएण्डटी मानव संसाधन विकास, बौद्धिक संपदा और प्रौद्योगिकी प्रबंधन, अनुसंधान और विकास प्रबंधन सहायता तथा ट्रांसलेशनल अनुसंधान संस्थान (नवाचार काम्पलेक्सेस के रूप में पुनर्नामित) के लिए सहायता मुहैया की जाएगी।

जैव प्रौद्योगिकीः जैव प्रौद्योगिकी विभाग हेतु 1400.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है । योजनाएं स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, पशु विज्ञान, जलचर पालन, पर्यावरण और जैव संसाधनों के क्षेत्र में मूल अनुसंधान में सुधार लाने और उसे बेहतर बनाने के लिए तैयार की गई हैं। विद्यमान जैव विज्ञान सुविधाओं और उत्कृष्ट केन्दों को सहायता जारी रखने के अतिरिक्त, अनुसंधान के समकालीन और अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योजनाओं के अधीन अधिक सहायता की जाएगी। सूक्ष्म जैविक संभाव्यताओं पर वैक्सीन विकास में जारी वृहत चुनौती कार्यक्रमों के अतिरिक्त, डिजायनर फसल विकास, पोषाहार संबंधी प्रौद्योगिकियों और चिकित्सा उपकरणों पर नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। कृषि फसलों की आणविक उपज के लिए राष्ट्रीय मंच तथा निदान उपकरणों के जैव डिजाइन पर अन्य ग्यारहवीं योजना की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। विदेशों से वैज्ञानिकों के भारत लौटने के लिए अनुसंधान और विकास आधारित पुनः प्रवेश अनुदान योजना को कार्यान्वित किया जाएगा। अन्य कार्यक्रमों जैसे विश्वविद्यालयों में जीव विज्ञान विभागों की पुनः माडलिंग, विद्यमान फैलोशिप का विस्तार और नए नवान्वेषण आधारित फैलोशिप स्टार अंडरग्रेजुएट महाविद्यालयों को सहायता और प्रौद्योगिकी प्रबंधन को सहायता दी जाएगी। लघु और मझौले उद्यमों द्वारा अनुसंधान और विकास को सहायता देने वाले लघु व्यवसाय नवोन्वेषण अनुसंधान अभिक्रम का विस्तार किया जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग भागीदारी कार्यक्रम (बीआईपीपी) का एक नया सरकारी निजी भागीदारी कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। सरकारी निजी भागीदारियों को बढ़ावा देने के लिए जैव प्रौद्योगिकी उद्योग सहायता अनुसंधान परिषद (बीआईआरएसी) की स्थापना की जाएगी। "ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान अनुसंधान" के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए अंतरिम सुविधाओं की स्थापना के कार्यकलाप और नए संस्थानों के स्थान पर निर्माण कार्य, स्टेम सेल जीवविज्ञान, यूनेस्को क्षेत्रीय केन्द्र, कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और पशु जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में प्रक्रियाधीन अन्य संस्थाओं की गतिविधियां आरम्भ करने के प्रयास किए जाएंगे।

भेषज : भेषज विभाग के लिए 175.00 करोड़ रुपए का परिव्यय है, जिसमें एनआईपीईआर, मोहाली के लिए और कोलकाता, अहमदाबाद, रायबरेली, हैदराबाद, हाजीपुर और गुवाहाटी में एनआईपीईआर जैसे संस्थानों की स्थापना के लिए है।

पर्यटनः पर्यटन मंत्रालय का परिव्यय 1100.00 करोड़ रुपए है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र सिक्किम के लिए 110.00 करोड़ रुपए शामिल है। योजनाओं के लिए कुल परिव्यय गंतव्य स्थलों तथा सर्किटों के उत्पाद/अवसंरचना विकास, हेतु राजस्व सृजन करने वाली परियोजनाओं के लिए सहायता, आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार, बाजार विकास सहायता सहित समुद्रपारीय संवर्धन और प्रचार, होटल प्रबन्धन संस्थानों/पाक कला उद्योग को सहायता, सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण, आवास अवसंरचना को प्रोत्साहन, अंजता एलोरा में बौद्ध केंद्रों/स्थलों और उत्तर प्रदेश में बौद्ध केन्द्रों के विकास हेतु विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाएं, भारत सरकार-यू.एन.डी.पी. संयुक्त पर्यटन परियोजनाएं, 20 वर्ष की परिदृश्य योजना सहित बाजार अनुसंधान, गुलमर्ग में

भारतीय स्केइंग तथा पर्वतारोहण संस्थान के लिए भवन निर्माण, कम्प्यूटरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेन्सियों को सहायता तथा होटलों के लिए भूमि बैंक की स्थापना की स्कीमों के लिए है। वार्षिक आयोजना (2011-12) का 2.5 प्रतिशत भाग आयोजना स्कीम "गंतव्य तथा सर्किट विकास हेतु उत्पाद/अवसंरचना" के अन्तर्गत टीएसपी हेतु आवंटित किया गया है।

विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धनः वाणिज्य विभाग लिए 2000.00 करोड़ रुपए का परिव्यय है जिसमें निर्यात संबद्ध अवसंरचना के विकास शामिल है (60.00 करोड़ रुपए, पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु, और एससीएसपी के लिए हैं)। कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण हेतु (180.00 करोड़ रुपए); विभिन्न बागान वोर्डों जैसे चाय, कॉफी, रबड़ तथा मसाला बोर्डों हेतु 555.00 करोड़ रुपए, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (90 करोड़ रुपए), समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास और समुद्री उत्पादों के निर्यात हेतु 110.00 करोड़ रुपए, ऋण गारंटी निगम में निवेश, निरंतर आधार पर भारत के निर्यात के संवर्धन हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए बाजार पहुंच पहल कार्यक्रम हेतु (150.00 करोड़ रुपए) 84.01 करोड़ रुपए आधुनिकीकरण तथा उन्नयन गतिविधियों हेतु और 62.00 करोड़ रुपए भारतीय, विदेशी व्यापार संस्थान, भारतीय पैकेजिंग तथा फुटवीयर डिजाइन तथा विकास संस्थान में अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों के लिए हैं ।

अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएंः कारपोरेट कार्य मंत्रालय : वर्ष 2011-12 हेतु रपोरेट कार्य मंत्रालय का आयोजना परिव्यय 28.00 करोड़ रुपए है। मंत्रालय एकमात्र केन्द्रीय आयोजना स्कीम को क्रियान्वित कर रहा है, "भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान की स्थापना" जिसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 211.00 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है। इस संस्थान की स्थापना विचारों का व्यापक आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण, कारपोरेट विकास हेतु सेवा सुपुर्दगी, गतिशील ज्ञान प्रबन्धन सहभागिता तथा एक ही स्थान पर समस्या समाधान के जरिए सुधार हेतु की गयी है।

वित्तीय सेवाएंः वर्ष 2011-12 हेतु वित्तीय सेवा विभाग के लिए कुल आयोजना परिव्यय 7850.00 करोड़ रुपए है। 50.00 करोड़ रुपए भी व्यवस्था पहचान किए गए लगभग 73000 परिवारों में "स्वाभिमान योजना" के अन्तर्गत "शून्य खाता" खोलने हेतु वित्तीय सहायता के लिए की गयी है ताकि व्यवसायी संवाददाता (बीसी) तथा अन्य मॉडल्स के जरिए मार्च 2012 तक चरणबद्ध तरीके से उपयुक्त प्रौद्योगिकी सहायता सहित बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को उनके पूंजीकरण हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजीकरण सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के सन्दर्भ में 500.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि इसे समयबद्ध तरीके से कम से कम 7 प्रतिशत तक और मार्च 2012 तक 9 प्रतिशत आरआरबी के पूंजी सम्बन्ध जोखिम भारांश परसम्पत्ति अनुपात तक लाया जा सके। 6000.00 करोड़ रुपए का प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनः पूंजीकरण हेतु किया गया है ताकि उनके टायस-I सीआरएआर को 8 प्रतिशत पर रखा जा सके और सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों में 58 प्रतिशत तक सरकारी धारिता जुटाने में मदद मिले।

विदेश मंत्रालयः विदेश मंत्रालय के लिए परिव्यय 700 करोड़ रुपए है। यह प्रावधान मुख्यतः पड़ोसी तथा अन्य विकासशील देशों को भारत के बहुपक्षीय तथा द्विवपक्षीय सहायता कार्यक्रम की दिशा में अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग स्थापित करने के लिए किया गया है। ये विशाल परियोजनाएं भूटान, म्यामार तथा अफगानिस्तान में स्थित हैं। भारत में अन्य अकादमिक विधाओं की तरह बौद्ध धर्म और संस्कृति में अनुसंधान हेतु उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में नालन्दा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

सामाजिक सेवाएं

सामान्य शिक्षाः सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रमों के प्रति सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरुप, विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए 38957.00 करोड़ रुपए और उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए 13103.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रारम्भिक शिक्षा कोष में जमा किए जाने वाले शिक्षा उपकर से प्राप्तियों के रूप में 18506.33 करोड़ रुपए की अनुमानित प्राप्तियां शामिल हैं। प्रारम्भिक शिक्षा कोष के अंतर्गत निधियां सर्वशिक्षा अभियान और मध्याहन भोजन योजना के लिए उपयोग में लाई जाएंगी।

सर्वशिक्षा अभियान : सर्वशिक्षा अभियान केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच कार्यान्वित किया जा रहा है जिसे सभी को बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में पहुंच, समानता, स्कूल में बने रहने और गुणवत्ता, की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े खण्डों में लिंग समानता को प्रोत्साहन देने के लिए बालिका शिक्षा पर फोकस करने वाले दो अतिरिक्त संघटक हैं : राष्ट्रीय बालिका प्राथमिक शिक्षा स्तर कार्यक्रम तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2100.00 करोड़ रुपए का परिव्यय सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत रखा गया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 1911.50 करोड़ रुपए शामिल हैं

मध्यान्ह भोजन योजनाः प्राथमिक शिक्षा से सम्बद्ध राष्ट्रीय पोषाहार समर्थन कार्यक्रम, जिसे लोकप्रिय रूप से मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता है, प्राथमिक और प्राथमिक उच्च स्तर के बच्चों के लिए विश्व के सबसे बड़े भोजन कार्यक्रम के रूप में उभरा है। प्राथमिक स्तर पर प्राप्त सफलता को देखते हुए इस योजना का विस्तार 1 अक्तूबर, 2007 से 3,479 शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकास खंडों में उच्च प्राथमिक स्तर पर किया गया है। वर्ष 2008-09 से इस कार्यक्रम में देश के सभी क्षेत्रों में उच्च प्रारम्भिक स्तर के बच्चों (कक्षा I से VIII तक) को शामिल किया जाता है। इस योजना हेतु परिव्यय 10380.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है जिसमें पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के लिए 1038.00 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।

माध्यमिक शिक्षाः माध्यमिक शिक्षा के लिए 6213.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 621.30 करोड़ रुपए भी शामिल है। इस आबंटन में अन्य के साथ-साथ नवोदय विद्यालय समिति के लिए 1200.00 करोड़ रुपए (120.00 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए शामिल है) का आबंटन और केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिए 350.00 करोड़ रुपए (35 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए शामिल है) का आबंटन शामिल है। सर्वशिक्षा अभियान की सफलता और माध्यमिक शिक्षा के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उच्चतर प्राथमिक स्तर को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की भारी संख्या को देखते हुए 244.79 करोड़ रुपए के प्रावधान (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 244.79 करोड़ रुपए शामिल हैं) से एक प्रमुख नीतिगत कार्यक्रम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना मंजूर की गई है। 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना की स्कीमों के लिए 1200.00 करोड़ रुपए का प्रावधान (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 120.00 करोड़ रुपए सहित) किया गया है। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की बालिकाओं के लिए बालिका छात्रावासों के निर्माण और संचालन के लिए 250.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 25.00 करोड़ रुपए सहित) उपलब्ध कराए गए हैं। राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत कक्षा IX से XII में छात्रों के लिए 1,00,000 छात्रवृत्तियां संवतिरित करने हेतु 60.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

प्रौढ़ शिक्षा - प्रौढ़ शिक्षा के लिए 600.00 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 60.00 करोड़ रुपए शामिल है। इस आवंटन में अन्य के साथ-साथ साक्षर भारत के लिए प्रौढ़ शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए 488.50 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 49.05 करोड़ रुपए सहित) शामिल है।

उच्चतर शिक्षा - उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए 13103.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस धनराशि में विभिन्न उच्चतर और तकनीकी संस्थाओं के लिए प्रावधान शामिल है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 5254.50 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र का 505 करोड़ रुपए सहित) का आबंटन प्रदान किया गया है जिसमें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों के लिए आबंटन शामिल है। "आईसीटी के माध्यम से शिक्षा हेतु राष्ट्रीय मिशन" के लिए 943.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 94.30 करोड़ रुपए सहित) का प्रावधान रखा गया है। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो दूरस्थ शिक्षा में अग्रणी रहा है, के लिए 100.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10.00 करोड़ रुपए सहित) का

प्रावधान रखा गया है। इस प्रावधान में राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए 50.00 करोड़ रुपए और स्वयं इग्नू की विभिन्न अनुमोदित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 50.00 करोड़ रुपए शामिल हैं।

तकनीकी शिक्षाः 5660.00 करोड़ रुपए का प्रावधान (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 449.78 करोड़ रुपए सहित) है और इसमें आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम आदि के लिए है इसमें से, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए 1100.00 करोड़ रुपए (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 110.00 करोड़ रुपए शामिल हैं) का प्रावधान किया गया है । राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए 910.00 करोड़ रुपए (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 91.00 करोड़ रुपए शामिल हैं। भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान हेतु 580.00 करोड़ रुपए (जिसमें नई आईआईएसईआर शामिल है) की व्यवस्था की गयी है। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में चालू विभिन्न योजनाओं के लिए प्रावधानों के अतिरिक्त, नए आईआईटी के लिए 500.00 करोड़ रुपए, अब तक छूट गए राज्यों में पालीटेक्नीकों की स्थापना और विद्यमान पालीटेक्नीकों के उन्नयन के लिए 840.00 करोड़ रुपए (जिसमें 84.00 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र है का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, नए आईआईएम की स्थापना के लिए 60.00 करोड़ रुपए, नए आईआईटी की स्थापना के लिए 29.00 करोड़ रुपए और नए एनआईटी की स्थापना के लिए 80.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

खेलकूद और युवा सेवाएंः युवा कार्य और खेल मंत्रालय के लिए आयोजना परिव्यय 100.00 करोड़ रुपए है। युवा कार्य के क्षेत्र में प्रावधान मुख्यतया राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केन्द्र संगठन राष्ट्रीय युवा कोर और युवा और किशोरों के विकास के लिए है। खेलकूद के सम्बध में शहरी क्षेत्रों खेल अवसंरचना के सृजनार्थ उच्च आवंटन रखा गया है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने, राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीमों आदि के लिए भी प्रावधान है।

कला और संस्कृतिः 2011-12 में संस्कृति मंत्रालय के लिए 785.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। (इसमें बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाओं के लिए 8.00 करोड़ रुपए शामिल है)। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, एसियाटिक सोसाइटी, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, नृत्य, नाटक तथा थिएटर समूह को सहायता, राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, विज्ञान नगरों, नेहरु स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन तथा अन्य स्कीमों और कार्यक्रमों आदि के लिए प्रावधान रखा गया है। संस्कृति मंत्रालय के संबंद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों की भवन परियोजनाओं के लिए 43 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। पूर्वोत्तर तथा सिक्किम हेतु 78.50 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गयी है। इसके अलावा, विभिन्न संगठनों/योजनाओं हेतु टीएसपी के लिए 15.70 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गयी है।

चिकित्सा और जन स्वास्थ्यः 2011-12 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का योजना परिव्यय 23560.00 करोड़ रुपए है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में योजनाओं/परियोजनाओं के लाभ के लिए 2356.00 करोड़ रुपए शामिल हैं। स्वास्थ्य 57.20 करोड़ और एनआरएचएम 17840.00 करोड़ रुपए।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) स्कीम का उद्देश्य 6 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे संस्थानों की स्थापना और 13 मौजूदा सरकारी चिकित्सा कॉलेज संस्थानों के उन्नयन की परिकल्पना है। प्रत्येक एम्स जैसी संस्था की अनुमानित लागत 823.00 करोड़ रुपए है। मेडिकल कालेज संस्था के उन्नयन के लिए, केन्द्र सरकार प्रत्येक के लिए 125.00 करोड़ रुपए का अंशदान करेगी। इस योजना के लिए 1616.57 करोड़ रुपए का प्रावधान निर्धारित किया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन के विकास पर ब्याज केन्द्रित किया जा रहा है। नर्स सेवा के उन्नयन/सुदृढ़ीकरण योजना के तहत आवश्यक संस्थागत ढ़ाचों का निर्माण करके नर्सिंग सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैंसर नियत्रंण कार्यक्रम को इसके साथ एकीकृत करने के बाद राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, ह्रदयाघात और पक्षाघात की रोकथाम और नियन्त्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) तैयार किया है। इस कार्यक्रम में इष्टतम प्रचालनात्मक सहक्रियाओं हेतु विभिन्न स्तरों पर असंचारी रोग प्रकोष्ठों के माध्यम से मानव संसाधन, शीध्र निदान और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के एकीकरण सहित स्वास्थ्य संवर्धन और रोकथाम अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। वर्ष 2011-12 के दौरान योजना हेतु परिव्यय 125.00 करोड़ रुपए है।

अप्रैल, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत के साथ ही, मिशन सभी को साम्यतापूर्ण, किफायती और गुणपत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, जो लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह तथा अनुकूल हो उपबन्ध कराने की दिशा में प्रयासरत है। बाल और मातृत्व मृत्युदर में कमी लाने तथा जनसंख्या में स्थिरता लाने हेतु महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, टीकाकरण में तेजी लाई गई है। मानव संसाधन विकास तथा डाक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की प्रशिक्षण पूरे जोरों से शुरू किया गया है। सभी राज्यों ने मिशन को कार्यान्वित किया है और सभी स्तरों पर समर्थन के माध्यम से स्वास्थ्य प्रदाय प्रणाली में नई जान फूंकी जा रही है। प्रत्येक गांव में मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की नियुक्ति करके, बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या को, स्वास्थ्य शिक्षा और संवर्धन को बढ़ावा देकर, कमजोर तबकों के और निकट लाया गया है। एनआरएचएम में केन्द्र और राज्यों के बीच प्रभावी भागीदारियों को सुसाध्य बनाने, और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रबन्धन में समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने हेतु मंचों की स्थापना करने की प्रक्रिया चल रही है। अन्तः क्षेत्र समामेल्स और स्थानीय कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य को लचीलापन देने से मिशन की सफलता और बढ़ने की सम्भावना है।

एड्स नियंत्रण विभाग : एड्स नियंत्रण विभाग राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-I (एनएसीपी-III) 2007-12 कार्यान्वित कर रहा है, जिसका लक्ष्य रोकथाम, देखभाल, सहायता और उपचार के कार्यक्रमों को एकीकृत करके देश में एचआईवी महामारी को रोकना इसे उखाड़ फेंकना है। इस कार्यक्रम में चंदुमुखी रणनीति अपनाई गई है : (i) अधिक जोखिम वाले समूहों और आम जनता में नए संक्रमणों की रोकथाम, (ii) बड़ी संख्या में पीएलएचए की बेहतर देखभाल, सहायता और उपचार उपलब्ध कराना, (iii) जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर रोकथाम, देखभाल, सहायता और उपचार कार्यक्रमों में अवसंरचना प्रणालियों और मानसंसाधन का सुदृढ़ीकरण और (iv) राष्ट्रव्यापी कार्यनीति संबंधी सूचना प्रबंधन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, कार्यक्रम के अधीन रणनीतियों में शामिल हैं - नई प्रवासी रणनीति, कार्यनीति संबंधी सूचना प्रबंधन प्रणाली और कंडोम सामाजिक विपणन कार्यक्रम चरण-III, एनएसीपी के लिए परिव्यय 1700.00 करोड़ रुपए है।

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)ः आयुष का उद्देश्य संगठित व वैज्ञानिक तरीके से भारतीय दवा प्रणालियों का विकास व संवर्धन करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभाग ने अनेक केन्द्रीय प्रायोजित योजना और केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें कार्यान्वित की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रदाय में आयुष प्रणालियों को शामिल करके समेकन से उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) का भाग बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। 2011-12 के लिए आयुष के लिए कुल परिव्यय 900.00 करोड़ रुपए है।

महिला और बाल विकासः महिला और बाल विकास मंत्रालय के आयोजना परिव्यय में विगत कुछ वर्षों के दौरान आवंटन में सतत वृद्धि प्रतिबिंबित हुई है। मंत्रालय का आयोजना परिव्यय 12650.00 करोड़ रुपए है (इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र व सिक्किम के लिए 12650.00 करोड़ रुपए शामिल है)। मंत्रालय की फ्लैगशिप योजना समेकित बाल विकास सेवा योजना आईसीडीएस हेतु आवंटन 10000.00 करोड़ रुपए है। इस स्कीम में छः वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं व उपचाराधीन माताओं के स्वास्थ्य, पोषाहार व शैक्षिक सेवाओं के एकीकृत पैकेज की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाता है। इस पैकेज में पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, रेफरल सेवाएं, पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा शामिल है। स्कीम को व्यापक बनाने के लिए सरकार ने जिनमें मांग पर 20,000 आंगवाड़ी शामिल हैं।

मंत्रालय ने कठिन परिस्थितियों में बच्चों की भलाई में सुधार तथा ऐसी स्थितियों और कार्यों, जिनकी वजह से दुरुपयोग, उपेक्षा, शोषण, परित्याग और पृथवकीकरण होता है, की संवेदनशीलताओं में कमी लाने हेतु 2009-10 से एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना, "एकीकृत बाल संरक्षण योजना" प्रारंभ की है, इसके अतिरिक्त हाल ही में नई योजनाएं अर्थात् राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना (सबला) और इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई) आरंभ की है, सबला किशोरियों (11-18 वर्ष) की बहु-आयामी समस्याओं का निराकरण करने की योजना है, यह आरंभ में, प्रायोगिक तौर पर, देश के विभिन्न 200 जिलों में कार्यान्वित की जाएगी। आईजीएमएसवाई जो एक सशर्त मातृत्व लाभ के रूप में मजदूरी की हानि की आंशिक प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु सशर्त नकदी अंतरण के रूप में एक निवारात्मक उपाय है। अन्य महत्वपूर्ण महिला अधिकारिता योजनाओं में राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण, प्रशिक्षण और रोजगार में सहायता कार्यक्रम (स्टंप), प्रियदर्शिनी योजना, "स्वाधार, लघु ऋण योजना राष्ट्रीय महिला कोष जैसी पुनर्वास और सहायता योजनाएं आदि हैं। "उज्जवला" योजना में वाणिज्यिक यौन शोषण हेतु अनैतिक देह व्यापार के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और परिवार/समुदाय से पुनर्मिलन हेतु सहायता दी जाती है। एक नई योजना "बलात्कार के पीड़ितों को वित्तीय सहायता और समर्थन" पुनुरोद्वारक न्याय योजना" का लक्ष्य वित्तीय सहायता तथा चिकित्सा, आश्रम, परामर्श आदि के माध्यम से बलात्कार के पीड़ितों को पुनुरोद्वात्मक न्याय प्रदान करना है।

जलापूर्ति एवं सफाईः राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, पेयजल और सफाई विभाग का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम और "भारत निर्माण" का एक घटक है, जिसका उद्देश्य सभी ग्रामीण क्षेत्रों और परिवारों को स्वच्छ और पर्याप्त पेय जलापूर्ति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है । इस कार्यक्रम में त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, स्वजलधारा और राष्ट्रीय ग्रामीण जल गुणवत्ता मानीटरिंग और निगरानी के कार्यक्रमों को मिला दिया गया है। कार्यक्रम के तहत, देश के ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की निम्नलिखित घटकों के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है :

(i) ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में बस्तियों की कवरेज, (ii) ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों की कवरेज, (iii) स्रोत और प्रणाली सुस्थिरता उपाय शुरू करना, (iv) मौजूदा जलापूर्ति योजनाओं का प्रचालन और अनुरक्षण और (v) पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू व कश्मीर को छोड़कर, जिन्हें 90:10 के अनुपात में सहायता प्रदान की जाती है, केन्द्र और राज्यों के बीच कवरेज, गुणवत्ता और प्रचालन व अनुरक्षण के घटकों के लिए 50:50 के अनुपात में सहायता प्रदान की जाती है। सुस्थिरता और सहायता घटकों को केन्द्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत आधार पर निधिपोषित किया जाता है। कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में केवल ग्रामीण बस्तियों के स्थान पर ग्रामीण घटों की कवरेज पर बल देने, ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन और प्रबन्धन में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने भूमिगत जल, भू-जल और वर्षा के जल का यौगिक प्रयोग, जलस्रोत की निरन्तरता पर अधिक जोर तथा राज्य स्तर पर साफ्टवेयर गतिविधियों हेतु सहायता पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय प्रमुख संसाधन केन्द्र के माध्यम से प्रशिक्षण, भूमिगत जल संभावनाओं की तैयारी (हाइड्रो-जियोमोरफोब्लोजिक्ल मानचित) और एमआईएस जैसी गतिविधियों के लिए निधियां 01.04.2010 की स्थिति के अनुसार लगभग 1.44 लाख गुणवत्ता प्रभावित बस्तियां थीं, जिन्हें भारत निर्माण के तहत स्वच्छ पेयजल के प्रावधान से कवर किया जाना था। 2011-12 के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी और ग्रामीण जलापूर्ति सेक्टर के लिए 9350.00करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 935.00 करोड़ रुपए शामिल है। इसके अतिरिक्त, कुल आवंटन का 22 प्रतिशत और 10 प्रतिशत क्रमशः एससीएसपी और टीएसपी पर व्यय को पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया है। 2011-12 के दौरान, जोर पाइपयुक्त जलापूर्ति योजनाओं में कवरेज, जल रही योजनाओं को पूर्ण करना, गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों की कवरेज को प्राथमिकता देना, विशेष रूप से पानी की तंगी वाले खंडों में निरन्तरता घटक के लिए विशेष योजना की तैयारी और प्रोत्साहन निधियों का प्रभावी रूप से प्रयोग पर दिया जाएगा। सरकार ग्रामीण जनता को स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के राज्य सरकार के प्रयासों को सहायता देने पर सर्वाधिक महत्व देना जारी रखे हुए हैं। सम्पूर्ण ग्रामीण भारत जिसमें 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 607 जिले शामिल हैं, में 2011-12 के लिए 1650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें पूर्वोत्तर भारत और सिक्किम के लिए 165.00 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है, जलापूर्ति और सफाई के लिए कुल परिव्यय 110000 करोड़ रुपए है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 1100 करोड़ रुपए शामिल हैं।

आवास

ग्रामीण आवास : वर्ष 2011-12 के लिए ग्रामीण आवास के लिये परिव्यय 10,000 करोड़ रु. है जिसमें 1,004 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए शामिल हैं। इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य प्राथमिक तौर पर आवासीय यूनिटों के निर्माण में सहायता करना और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति के ग्रामीण गरीबों के विद्यमान अनुपयोगी कच्चे मकानों के लिए सहायता देकर उन्हें पक्का करना है। इस योजना के अंतर्गत, न्यूनतम 60 प्रतिशत निधियां अ.जा./अ.ज.जा. परिवारों की सहायता के लिए और 3 प्रतिशत विकलागों और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के हितों के लिए आरक्षित की गई हैं। इंदिरा आवास योजना की निधियों और भौतिक लक्ष्य का 15 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए अलग से रखे गए हैं। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कुल आवंटित निधियों का 5% प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपातकालिक स्थितियों जैसे दंगा, आगजनी और आग, आपवादिक परिस्थितियों में पुनर्वास आदि से उत्पन्न आकस्मिकताएं पूरी करने के लिए अलग से रखा गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईएवाई लाभार्थियों को अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इन्दिरा आवास योजना को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी), राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई), पेय जलापूर्ति (डीडब्ल्यूएस), आम आदमी बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरजीए) के साथ अभिसारित कर दिया गया है।

शहरी विकासः इस क्षेत्र के लिए कुल परिव्यय 8054.00 करोड़ रुपए है जिसमें 1844.00 करोड़ रुपए आं.ब.बा.सं. शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के लिए यह प्रावधान किया गया है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संतुलित और समान विकास का उद्देश्य प्राप्त करने और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली पर जनसंख्या का दबाव कम करने और अन्य शहरी विकास स्कीमों अर्थात् सेटेलाइट शहरों/काउंटर मैगनेट शहरों का विकास, राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली, सामुहिक वित्त विकास निधि, शहरी और क्षेत्रीय आयोजना में अनुसंधान और शहरी क्षेत्र में क्षमता निर्माण राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान और सामान्य पूल रिहायशी और गैर रिहायशी आवास, सामान्य पूल कार्यालय स्थान के लिए किया गया है। इसमें जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के प्रशासनिक खर्चों के अंतर्गत शहर की विकास परियोजना बनाने और तकनीकी सेमिनार, संगोष्ठियों और परामर्श सेवाओं के लिए प्रावधान शामिल किया गया है। इस प्रावधान में दिल्ली मेट्रो रेल निगम, बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना, कोलकात्ता मेट्रो रेल परियोजना, चेन्नई मेट्रो रेल, अन्य मेट्रो परियोजनाएं, भारत हेवी इलेक्ट्रक्ल्स लिमिटेड को अनुसंधान व विकास उत्कृष्ट केन्द्र और दिल्ली, बंगलौर और कोलकात्ता आदि में जन द्रुत परिवहन प्रणाली भी शामिल है। भवन में ऊर्जा क्षमता में सुधार, शहरी आयोजना, रिसाइकलिंग और विद्युत उत्पादन सहित ठोस और तरल अपशिष्ट का सुधार प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन और संरक्षण की दिशा में आदर्श परिवर्तन के जरिए बस्तियों की दीर्धावधिकता को बढ़ाने के लिए दीर्धावधिक बस्ती संबंधी राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई है।

सूचना, प्रचार और प्रसारणः सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए 861.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जिसमें 534.77 करोड़ रुपए प्रसारण क्षेत्र, सूचना क्षेत्र के लिए 162.99 करोड़ रुपये, फिल्म क्षेत्र के लिए 163.24 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है। प्रावधान नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र के निर्माण, विकास प्रचार कार्यक्रम चल छायाचित्रों का संग्रहालय, अभिलेखागार संबंधी फिल्मों का अधिग्रहण और प्रदर्शन, एनिमेशन, गेमिंग और स्पेशल इफेक्टस में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र, राष्ट्रीय फिल्म धरोहर मिशन, प्रसार भारती आदि के लिए किया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र; पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर परिषद की अपनी स्कीमों और संसाधनों के अव्यपगत केन्द्रीय पूल के माध्यम से सड़क और पुल, विद्युत, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकूद, जलापूर्ति आदि क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाएं शुरु करता है। राज्य आयोजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय हेतु 1,550 करोड़ रुपए का प्रावधान है जिसमें पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमों हेतु 700 करोड़ रुपए एमएलसीपीआर से अनुदान के रूप में 800.00 करोड़ रुपए और बोडो लैंड क्षेत्रीय परिषद हेतु 50 करोड़ रुपए की स्कीमें शामिल है। केन्द्रीय आयोजना स्कीमों के लिए प्रावधान 197 करोड़ रुपए है जिसमें 60 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम, का ऋण 20 करोड़ रुपए तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण हेतु, 7 करोड़ रुपए सहायता और प्रचार हेतु 68 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर राज्य सड़क परियोजना 35.00 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र आजीविका परियोजना और 1.00 करोड़ रुपए एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त पूर्वोत्तर सड़क परियोजना प्रबंधन यूनिट के लिए है। एनईएसआरपी को पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुलों और पक्का नदीपथ/आयरिश क्रासिंग के निर्माण सहित, प्राथमिकता प्राप्त सड़कों के उन्नयन के लिए एशियाई विकास बैंक के माध्यम से निधिपोषित किए जाने का प्रस्ताव है । पूर्वोत्तर क्षेत्र आजीविका परियोजना (एनईआरएलपी), जिसे विश्व बैंक द्वारा निधिपोषित किए जाने का प्रस्ताव है, पूर्वोत्तर क्षेत्र की ग्रामीण जनसंख्या के रोजगार की आवश्यकताओं, आय और प्राकृतिक संसाधन की धारणीयता से संबंधित योजना होगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष तौर से अरुणाचल प्रदेश और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन एवं उन्नयन के लिए "सामाजिक और अवसंरचना विकास निधि" के संबंध में 170.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

कल्याण

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याणः सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की स्कीमों/कार्यक्रमों के लिये 5375.00 करोड़ रूपए का आबंटन किया गया है (पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 213.50 करोड़ रुपए सहित)। इसमें अनुसूचित जातियों के कल्याण, अन्य पिछड़े वर्गों के विकास, अपंगों के विकास, सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र और अनुसूचित जाति उप-आयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के लिए आवंटन (पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 15.50 करोड़ रुपये सहित 775.00 करोड़ रुपए) शामिल है। इस योजना से संभवतः लगभग 7.00 लाख अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ होगा। अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए 2218.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 45 करोड़ रुपए सहित) का प्रावधान हैं। संभवतः इससे लगभग 51 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 54 करोड़ रुपए सहित (535 करोड़ रुपए) में संभवतः लगभग 30 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना में संभवतः लगभग 14 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे (पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 5 करोड़ रुपए सहित 50 करोड़ रुपए)। 2011-12 के आम बजट से अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के लिए प्रावधान को अलग से दर्शाया गया है।

जनजातीय मामले : केंद्रीय क्षेत्र आयोजना के अंतर्गत 1450.00 करोड़ रूपए के आवंटन में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, बुक बैंक, और योग्यता के संवर्धन (679.00 करोड़ रुपए), प्रशिक्षण और संबद्ध स्कीमों सहित अ.ज.जा. के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान तथा अनुकरणीय सेवाओं के लिए ईनाम (60 करोड़ रुपए) कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण (40 करोड़ रुपए), विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (पीटीजी) (244 करोड़ रुपए), लघु वन उत्पाद हेतु राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम को सहायता अनुदान (20.00 करोड़ रुपए), जनजातीय उत्पादों/उपज के विपणन विकास (22 करोड़ रुपए), अनुसूचित जनजाति की लड़कियों व लड़कों के लिए छात्रावासों का निर्माण (78 करोड़ रुपए), जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों (9 करोड़ रुपए), जनजातीय उप-आयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना (75 करोड़ रुपए) तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप (62 करोड़ रुपए), उत्कृष्ट संस्थान/उत्कृष्ट शिक्षा (5.00 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना (1 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को सहायता (70 करोड़ रुपए) और अनुसंधान सूचना व जन शिक्षा, जनजातीय उत्सव और अन्य (15.00 करोड़ रुपए) के लिए प्रावधान शामिल हैं।

अल्पसंख्यकः अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय का आयोजना परिव्यय 2850.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 280.00 करोड़ रुपए के प्रावधान सहित) है। इस परिव्यय में बारह योजनाएं शामिल हैं यथा, चुनिंदा अल्पसंख्यकों बहुल आबादी वाले जिलों के लिए बहु-क्षेत्रक विकास कार्यक्रम, अल्पसंख्यकों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां, और स्नातक और स्नात्तकोत्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु योग्यता-सह-युक्ति छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण और संबद्ध योजना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम में कार्यान्वयन के लिए लगी राज्य सरणीकरण एजेंसियों को सहायता-अनुदान, मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन को सहायता-अनुदान, एनएमडीएफसी को इक्विटी और अनुसंधान/अध्ययन, अनुवीक्षण और विकास योजनाओं का मूल्यांकन ढांचों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप, राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण तथा अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास की योजनाएं।

श्रम और रोजगार : श्रम मंत्रालय के लिए सकल आधार पर 1988.25 करोड़ रुपए का योजना परिव्यय है जिसमें से सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन के सम्बन्ध में ब्याज मुक्त ऋण जारी करने के लिए सामाजिक एवं अवसंरचना निधि (एसआईडीएफ) से 740.00 करोड़ रुपए की पूर्ति की जाएगी। चूंकि इस राशि की सामाजिक एवं अवसंरचना विकास निधि (एसआईडीएफ) से वसूलियों से पूर्ति की जाती है अतः इसमें नगद व्यय नहीं होगा और इस प्रकार 1300.00 करोड़ रुपए का निवल आयोजना परिव्यय होगा। इसमें रोजगार व श्रमिक प्रशिक्षण, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित) कार्य करने की स्थितियां सुधारने व बाल/महिला श्रमिक की सुरक्षा पर बल दिया गया है। केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड, वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास, अजा/अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण और पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम की कल्याण स्कीमों के लिए प्रावधान भी किया गया है।

सामान्य सेवाएं

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयनः वर्ष 2011-12 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का कुल केन्द्रीय आयोजना परिव्यय 600.00 करोड़ है जिसमें 160.00 करोड़ रुपए का विदेशी सहायता घटक शामिल है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अधीन एक सांवधिक योजना संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी) के अतिरिक्त सात आयोजना योजनाएं हैं; (i) क्षमता विकास (ii) कम्प्यूटर सेन्टर का सुदृढ़ीकरण; (iii) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता को सहायता अनुदान, (iv) परियोजनाओँ और कार्यक्रम के लिए सुदृढ़ीकरण, मानीटरिंग और मूल्यांकन (v) आर्थिक जनगणना (vi) भारतीय सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना और (vii) स्थानीय स्तर विकास हेतु मूल सांख्यिकी 1 एमपीएलएडी योजना किसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नहीं आती है, और निधि का आवंटन वार्षिक आधार पर किया जाता है। आयोजना स्कीमों के मुख्य उद्देश्य देश के सांख्यिकीय प्रणाली को सुदृढ़ करना है ताकि न्यूनतम समय अंतराल और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए बेहतर नीति और योजना निर्माण को सुसाध्य बनाने हेतु आंकड़ों में अन्तरालों को पाटने सहित सुनिश्चित गुणवत्ता के साथ आंकड़ों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके ।

न्याय प्रशासनः 2011-12 के लिए विधि एवं न्याय का केन्द्रीय आयोजना परिव्यय 1000.00 करोड़ रुपए है जिसमें से 267.00 करोड़ रुपए देश की जिला एवं अधीनस्थ अदालतों के कम्प्यूटरीकरण के लिए और 427.90 करोड़ रुपए न्यायपालिका के अवसंरचनात्मक सुविधा विकास के लिए है। भारत में न्याय तक सुव्यवस्थित पहुंच के लिए 7.57 करोड़ रुपए और ग्राम न्यायालयों की स्थापना और संचालन के लिए राज्य सरकारों को सहायता नामक एक नई परियोजना के लिए 145.00 करोड़ रुपए का प्रावधान है।